The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT BILL

*The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing the the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022. Hon. P. Wilson will now speak.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I appreciate the good intention of the hon. Minister for making earnest efforts to control the carbon emission and to protect the environment, and I welcome the same. But, I am sorry to state that the Bill has a lot of legal infirmities which go to the root of the matter and it requires re-consideration and re-introduction.

I have to say something good about this Bill. The Bill gives the Union Government the authority to implement a carbon credit trading system in the country. An organisation that emits more carbon dioxide than what is allowed may purchase carbon credits. It aims to incentivise the use of clean energy by issuing carbon saving certificates. This Bill, by mandating the use, aims to prescribe minimum consumption of non-fossil energy sources as energy or feed sources by the designated consumers with an aim to reduce carbon consumption and restrain carbon emissions to the atmosphere. The Bill aims to mandate use of non-fossil sources by establishing carbon mandatory body within the field of energy conservation. Sir, I am sorry to say this, and it is my duty to say so. The Bill is ultra vires of the Energy Conservation Act, 2001. While the Energy Conservation Act, 2001 deals with saving energy, the present Bill deals with saving environment and conserving climate change due to usage of fossil and non-fossil fuels while generating electricity. The scope and objective of the principal Act does not take in the purpose and object of the present Bill. The Bill relates to monitoring and controlling of carbon emission and climate change which is an aspect of the environmental laws. The question that arises is whether these aspects can be legislated pursuant to the power given under Entry 38 of List III. My answer to this is 'no'. The power under which the environmental laws can be formed is given under Entry 97, List 1. Therefore, I will give you a suggestion. The way

_

^{*} Further consideration continued on a motion moved on 8th December, 2022.

Section 110 (1) of the Motor Vehicles Act, 1988 provides the Ministry of Environment to make rules for any matter related to protection of environment, similar provision should be introduced in the proposed Bill also. A very effective Minister, Shri Bhupender Yadav, is there, who is dealing with the Environment Ministry. The principal Act designates Ministry of power as the nodal Ministry for the regulation of the scheme and the Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power will be the implementing agency. However, as per the rules specified under the Government of India (Allocation of Business) Rules, the Ministry of Power is responsible for the general policy in the power sector and issues related to the energy policy and coordination and energy conservation and energy efficiency pertaining to the power sector.

When we talk about the carbon credit trading, its ambit is conservation of environment and protection of climate change, and the Statement of Objects and Reasons also says so. Under the Business Allocation Rules, it is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change which is responsible for the regulation of climate change, environmental norms, forestry and related matters. If observed accurately, the proposed Amendment majorly concerns the environmental aspect which falls into the expertise of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. By making Ministry of Power as the nodal agency, it is acting without jurisdiction and usurping the power of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. By virtue of the doctrine of pith and substance, since the proposed Amendment is to give effect to the COP 26 Declaration held at Glasgow in 2021 to lower greenhouse gas emissions and, therefore, combat climate change, it falls under Article 253 thereby giving Parliament the power to make laws for enforcing international agreements within the country. Since it gives effect to the international environmental obligation of the member states, the law cannot be brought in effect without making the Ministry of Environment, Forest and Climate Change the enforcing authority which has got the adequate expertise in the sector.

In USA, UK and Switzerland, it is the Environment Ministry or the Environment Regulator which implements such schemes as are proposed in the Bill.

Sir, the Ministry has not specified who will regulate and govern the carbon credit market. The Bill suggests the alternative of carbon credit trading and carbon credit certificates. The Government can issue energy savings certificates to those industries which consume less than their maximum allotted energy. However, this certificate can be sold to customers who consume higher than their maximum allowed energy threshold and thus providing for a framework for energy trading. Usually trading platforms are regulated by respective sectoral regulators which is specified in

the Act itself. The Bill does not clarify how carbon credit certificates will be traded or who will be regulating such trading. Carbon credit certification is based on technical parameters of emission rate and composition and thereby brings the certification process within the expertise of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Sir, the Bill implicitly proposes an escape route mechanism. The introduction of carbon market in India is a welcome step. But the scheme might end up just providing an escape route mechanism to carbon-intensive industrial sources.

A successful carbon market requires a high enough carbon price that will disincentivise polluting behaviour. This lays emphasis on planning carbon market schemes of India in such a way that the value of its carbon certificate is increased and can actually make an impact on the ground.

The penalties mentioned in these amendments go up to Rs.10 lakh along with an additional penalty of not more than twice the price of the oil equivalent of energy consumed above the prescribed norm. It may be apt for industries of a certain scale and cannot be uniformly applied to all industries. Therefore, when it comes to bigger players of this carbon-intensive sector, it may not be stringent enough. It may not be equitable. It should be based on the profit margins the companies make, rather than the rate of carbon emission. Similar parameters are observed in UK, USA and Switzerland under the 'Cap and Trade System'.

Summing up, I would like the hon. Minister to consider the following suggestions:

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change should be brought in for proper implementation of the proposed scheme since they are the expert body in the concerned area of proposed legislation

A regulatory body should be established to regulate the carbon credit trading certificates in the open market. Thank you very much, Sir.

श्री संदीप कुमार पाठक (पंजाब): उपसभापति महोदय, एनर्जी कंज़रवेशन अमेंडमेंट बिल, जो 2001 में पास किया गया था, उसमें कुछ रेग्युलेटरी पावर्स लाने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को प्रपोज़ किया गया है।

इस बिल के चार प्रमुख हिस्से हैं, जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहला तो कार्बन क्रैडिट ट्रेडिंग है, यह दूसरे देशों में ऑलरेडी कई सालों से चलता आ रहा है और काफी सक्सेसफुल मॉडल है। दूसरा इसमें जो पैरामीटर है, वह है obligation to use renewable mix. तीसरा जो है, वह ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है और चौथा पार्ट जो है, वह व्हीकल में जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड है। ओवरऑल ये तीन हिस्से हैं, जिनको रेग्युलेटरी बॉडी में लाने के लिए

यह बिल प्रपोज़ किया गया है और इनको ओवरऑल रेग्युलेट करने के लिए एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सरकार क्रिएट कर रही है।

Sir, at the outset, मैं सरकार को इस बिल के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिल है और यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर भी यह बिल आगे भविष्य को निर्धारित करेगा कि रिन्युएबल रिसोर्सेज़ का कैसे यूटिलाइजेशन होगा और कैसे देश उसमें प्रगति करेगा।

इस बिल में काफी सारी चीज़ें हैं, जिनको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की बात करूं तो यह बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह पावर मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों आ रहा है। यह बिल रिन्युएबल मिनिस्ट्री या फिर एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आना चाहिए। इसमें क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परपज़ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि रिन्युएबल में कन्वेंशनल सोर्सज़ से जो एनर्जी आती है, उसे आप कट डाउन करना चाहते हैं और सारा रिन्युएबल में शिफ्ट करना चाहते हैं। पावर मिनिस्ट्री यह बिल ला रही है तो यह थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परपज़ और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। It should be better fixed with the Environment Ministry. That is number one. इसमें एक दूसरा प्वाइंट और है कि कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग होगी, इससे पहले ऑलरेडी एनर्जी सेविंग की क्रेडिट्स हैं, तो क्या ये दोनों इंटरचेंज होंगी, एक्सचेंजेबल होंगी, इस पर क्लेरिटी नहीं है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ड्वेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा बिल बार-बार नहीं ला सकते हैं। आप एक बार इसे लेकर आएँगे, फिर 5 साल के बाद आप यह बिल लेकर नहीं आ सकते। आज इस देश को जरूरत यह है कि हम जो भी बिल लेकर आएँ, बहुत ज्यादा डेलिब्रेशंस के साथ लेकर आएँ, तािक आने वाले कई डिकेड्स तक उसकी जरूरत न पड़े।

सर, इसमें दूसरा प्वाइंट यह है कि obligation to use renewable energy. इसमें ऐसा है कि डेज़िग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए यह कंपल्सरी किया जा रहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसमें यह समझना पड़ेगा कि क्या उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है? मतलब अगर मैं एक सीमेंट कंपनी चलाता हूँ, मैं डिस्कॉम से एनर्जी लेता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ वही एनर्जी आ सकती है, फिर मैं कहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी लूँगा? इसलिए ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। सिर्फ नियम, रेग्युलेशंस बनाने से implementation is not going to be that easy.

सर, तीसरी चीज यह है कि इसमें डिटेल्स की बहुत कमी है। यह एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और अच्छा बिल है, लेकिन इसमें डिटेल्स बिल्कुल ही कम हैं। इतने कम डिटेल्स के साथ जाना, that is something that the Government must ponder over.

Sir, the next point is very important, which is about the green building. I must tell you, विदेशों में भी अभी ग्रीन बिल्डिंग के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर हम आज इंडिया में यह बिल लाते हैं, तो यह फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। चूँकि इससे पहले मेरा बैकग्राउंड साइंटिस्ट का ही रहा है, मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, इससे पहले मैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी में रिसर्च करता था and fortunately happen to be in the same field, so, I can tell you that ग्रीन बिल्डिंग में अभी टेक्नोलॉजी ने उतनी प्रोग्रेस नहीं की है और हमारे

देश में तो बिल्कुल ही नहीं की है। इसका ओवरऑल प्वाइंट यह है कि 100 किलोवॉट से ज्यादा की जो प्राइवेट बिल्डिंग्ज़ रहेंगी, वे सारी इसके ज्यूरिस्डिक्शन में आ जाएँगी। Are we ready with that kind of infrastructure? क्या इनको ब्रिंग इन करके इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा पूरा सिस्टम रेडी है? सर, इसमें भी डिटेल्स की काफी कमी है। एक प्वाइंट और आता है कि आप ग्रीन बिल्डिंग्ज़ के लिए जो कंपल्सरली एनफोर्स करेंगे, तो कॉस्ट कौन बियर करेगा? ग्रीन बिल्डिंग बनाना तो ईज़ी है। Technically, I can cite a few parameters कि यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, लेकिन पैसा कौन बियर करेगा? यह कितना प्रैक्टिकल है, यह देखना पडेगा।

सर, चौथा प्वाइंट है, व्हीकल, वेसल और जो फ्यूल के कंपोजिशंस हैं कि उसमें थोड़ा सा बायोफ्यूल्स मिला दें, थोड़ा कुछ और मिला दें, that is fine कि यह धीरे-धीरे फ्यूचर में इनक्रीज़ होते रहना चाहिए।

सर, मैं ओवरऑल दो-तीन चीजें ही कहना चाहता हूँ। मूझे यह लगता है कि हमारे देश में हम लोग रेग्युलेशंस फॉर्म और फ्रेम तो सही-सलामत कर लेते हैं, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, तो हम वहाँ पर अटक जाते हैं। सिर्फ एक मंत्रालय अकेले इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे चार पैरामीटर्स हैं, जिनके माध्यम से ही यह इम्प्लीमेंट हो पाएगा। पहला है सब्सिडी कि सरकार किस सेग्मेंट को कितनी सब्सिडी देती है। दूसरा है टैक्स, आप किस सेग्मेंट पर कितना टैक्स लगाते हैं। तीसरा, एक इंडाइसेज है कि किस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें कम हो रहा है। अगर मैं देखूँ, तो सब्सिडी के मामले में रिन्युएबल, मैं ओवरऑल रिन्युएबल कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल रिन्यूएबल में सब्सिडी कम हो रही है, नॉन रिन्यूएबल में सब्सिडी बढ़ रही है। So, this is contradicting the overall purpose. नंबर दो, अगर आप टैक्स देखेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए बाकी के सेग्मेंट्स में टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल में टैक्स घटते जा रहे हैं। यह भी परपज़ डिफीट करता है। सर, चौथा इंडाइसेज यह है कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कन्वेंशनल एनर्जी से जुड़े हुए सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स मल्टीपल टाइम्स हायर आ रहे हैं और रिन्युएबल एनर्जी से जुड़े सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है। इसलिए अगर हम यह कहते हैं कि हमें ये सारी चीजें करनी हैं, तो इसे एड्रेस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उस सेग्मेंट को उसमें बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा: उसकी डिमांड नहीं होगी, तो हमें डिमांड जेनरेट करनी पडेगी, ताकि उसमें कंपनी को बेनिफिट हो।

सर, इसमें एक और चीज है, जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। अगर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करूँ, तो जो सोलर पैनल है, वह पहले चीन से इम्पोर्ट होता था। अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, इम्पोर्ट रिड्यूस हो गया है। देश में सिर्फ दो-तीन प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वे प्लेयर्स कौन हैं, सिर्फ वे दो-तीन प्लेयर्स ही सोलर पैनल बना रहे हैं। अगर हमें प्रोग्नेस करनी है, तो हमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खड़े करने पड़ेंगे और छोटे-छोटे प्लेयर्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर आपको सोलर पैनल को वाइडस्प्रेड करना है, तो बहुत सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एक चीज़ और है - रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप ग्रीन बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप फ्यूल को मिक्स कर रहे हैं। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो फंडिंग जाती है, वह धीरे-धीरे कम हो रही है। अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे, उस पर सब्सडी नहीं देंगे, उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी

लगाएंगे और फिर हम एक-दो प्लेयर्स को ही प्रमोट करेंगे, तो ये सारे पेरामीटर्स हमारे परपज़ को डिफीट करते हैं। So, regulatory body is fine. Implementation is very poor.

At the outset, again, I would like to thank the Government. अगर एक परसेंट भी प्रोग्नेस है, तो progress is always a progress. We all appreciate that, we all welcome that. But, I believe that if you really want to succeed, अगर हम दुनिया में नम्बर वन बनना चाहते हैं, तो सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। एक तो हम स्लो चल रहे हैं, दूसरा, हम इन्सिफिशएंट हैं और तीसरा, मुझे लगता है कि इस पर एक सैपरेट सेशन आना चाहिए। सैपरेट सेशन में छोटे-छोटे, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, एक साथ हम उनको खत्म करें। अगर छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, फिर उन पर डिबेट होगी, उसके बाद वे आगे जाएंगे, तो इससे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। सर, हम बीस-पच्चीस साल लेट चल रहे हैं। Thank you very much, Sir.

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): महोदय, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री राज कुमार सिंह जी द्वारा 3 अगस्त, 2022 को लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जो मुख्य रूप से पेरिस समझौते के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करना चाहता है।

सशोधन में नामित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा या गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की न्यूनतम खपत को निर्धारित करने के लिए कानूनी प्रावधान हैं। यह विधेयक कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों की अवधारणा को पेश करके, कार्बन बाज़ार के लिए कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह संशोधन, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के दायरे को बढ़ाता है, दंड प्रावधानों में भी संशोधन करता है और शासकीय परिषद में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सदस्यों की संख्या को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य राज्य बिजली नियामक आयोग को, अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाना है।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को ऊर्जा के कुशल उपयोग, उसके संरक्षण और संबंधित मामलों को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना और निगमन का भी प्रावधान करता है। यह ऊर्जा के कुशल उपयोग और उसके संरक्षण के उपायों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को शक्तियां प्रदान करता है। ऊर्जा बाज़ार में विकास के लिए इस अधिनियम को पहले 2010 में भी संशोधित किया गया था। वस्तुओं और कारणों के बयान में, 2022 के संशोधन के तीन प्राथमिक उद्देश्यों का उल्लेख है। पहला उद्देश्य, ग्लासगो 2021 में कॉप-26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पांच अमृत तत्वों के रूप में 'पंचामृत' की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाना है। इसमें गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता से 500 गीगावॉट विद्युत स्थापित करने की प्रतिबद्धता शामिल है। इस उद्देश्य से 2030 तक, 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना, 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली का 50 प्रतिशत प्राप्त करना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलयन टन तक कम करना और 2070 तक निविल शून्य उत्सर्जन की स्थिति को प्राप्त करना है।

इसका दूसरा उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नवीकरण ऊर्जा और घरेलू कार्बन बाज़ार के विकास को बढ़ावा देना है तथा तीसरा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी से डीकार्बोनाइज़ेशन को सुनिश्चित करने और सतत विकास को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग और गैर-जीवाश्म स्रोतों के अनिवार्य उपयोग जैसी नई अवधारणा को पेश करना है। जो सिफारिश की गई है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कार्बन ट्रेडिंग एक काफी प्रभावी तंत्र है। यह स्थायी जलवायु परिवर्तन कार्यों में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी की ओर ले जाता है। यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग को अपनाया गया था। हालांकि इसमें कई खामियां हैं। कार्बन ट्रेडिंग में उच्च लेन-देन लागत शामिल है, क्योंकि प्रत्येक फर्म अलग-अलग स्तरों पर प्रदूषण करती है और प्रदूषण की सीमा की गणना करना मुश्किल है। इसीलिए कार्बन उत्सर्जन की निष्पक्ष और सटीक गणना के आधार पर मापदंड को प्रभावित करने की सशक्त आवश्यकता है। इसके अलावा, कार्बन ट्रेडिंग को विनियमित करने और पारदर्शिता सुनिश्चत करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अन्य विकल्पों का पता लगाया जा सकता है, तािक जलवायु परिवर्तन की तात्कािलकता को दूर किया जा सके और गहरे डीकॉर्बनाइजेशन को प्राप्त किया जा सके।

महोदय, यह एक सराहनीय संशोधन है, जो पर्यावरण से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत इस बिल का मुख्य आकर्षण है। कार्बन ट्रेडिंग तंत्र को विनियमित करने की आवश्यकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह बिल वाहनों और जहाजों को ऊर्जा दोहन के स्रोतों के रूप में मान्यता देकर ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपने दिष्टिकोण को व्यापक बना रहा है। चर्चा का दायरा एसडीजी को पूरा करने के लिए एक व्यापक और पारदर्शी दिष्टिकोण सुनिश्चित करने की तर्ज पर हो सकता है और समावेशी तकनीक से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की खपत की ओर बढा जा सकता है।

उपसभापित महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे बिल आते हैं, जिनमें बहुत से संशोधन होते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो संशोधित बिल आता है, उस बिल के पास होने के बाद उसका इम्प्लिमेंटेशन कैसे होगा, कैसे उसे कार्यान्वित किया जाएगा, वह सबसे बड़ी बात होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, Shri S Niranjan Reddy. Please.

SHRI S NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise on behalf of my party to support the Bill, essentially, because it ticks three major boxes. Mr. Deputy Chairman, Sir, one is, it speaks of the ecological sustainability or environmental sustainability. That is a big plus on its side. Second, it looks at economic advantage for the country by saving energy. The third big reason is that it tries to make India more energy self-sufficient which will help India in the progress of becoming an economic power. So, while these are the three major things that we support the Bill for, we still have a complaint. The complaint is, largely, that the Bill

could have been more ambitious. It is a little timid in terms of its reach, if I may use the expression, Mr. Deputy Chairman, Sir. Now, why I say it is a little timid is because the Bill is made applicable to any building which has a minimum contracted load of 100 kilowatts. Now, if the Central Government, while the Bill provides that the State Government could provide a lesser threshold, tomorrow wants the Bill to be applicable across a larger sector, building, say about, 50 kilowatts or 75 kilowatts, it will need the Bill to be statutorily amended again because this Bill does not use the legislative device of when the building is described. It could be described to say 100 kilowatts or as may be notified from time to time. Generally, the Government uses its legislative device. So, what would then happen is, at a later point of time, after three years or four years, if the Government wants to make this Bill applicable to 50 kilowatts and above buildings, they simply have to issue an official notification in the Gazette. It does not have to go through the whole statutory process of an amendment which may have to be made again. So this is one suggestion that I have for the hon. Minister and the Government to consider and I am making the request through you, Sir. While I say that there are five points of concern which may again have to be operationally worked out by the Government and, I am placing it, Sir, with your permission now before the House. I have already mentioned about the buildings being above 100 kilowatts. The Act also does not make a provision for someone who has lower than 100 kilowatts building capacity, who would voluntarily want to be a part of this energy saving programme because they won't get carbon credits. One of the mechanisms that could be worked out is, other than what is specified, when someone wants to do a voluntary submission to this energy conservation mechanism because majority of the buildings are below 100 kilowatts contracted load.

Sir, the second point of concern which I have is that the Act seems to work in a clear binary. There is the Central Government discharging one set of roles, there are the State Governments which have been authorised under the Act to discharge a different set of roles. What is missing is a coordinated approach between the Central Government and the State Government because now each of the State Governments will act in its own manner, there is no coordinated approach. Just to give an example, when we have a COP Summit, when countries of the world can come together in relation to energy conservation or carbon saving mechanism, why cannot we have a similar feature in India where the Central Government shepherds all the States; conducts a Summit or maybe, conducts some energy conservation convention where the different States can be guided to do it in a coordinated manner? Otherwise, right now, the Act provides a role for the State Government, but each of the State

Governments will be operating in its own sphere without reference to the Central Government or any other State.

The third point of concern which I have is the aspect of a lack of regulator. This has been touched upon by my preceding speaker, Dr. Abhishek Manu Singhvi and also Mr. Wilson. I am seconding and thirding their proposal because we have now come across in the carbon market in a world experience where companies are resorting to what is now termed as 'greenwashing' which means, without actually resorting to saving of energy, they project a false picture of energy being saved. Unless there is a regulator, --because we have an energy auditor mechanism here under the Act--the energy auditors would again be operating without any regulator overseeing their functioning. In several legislations including IBC, in several other legislations, we have a regulator who oversees these professionals who are entrusted with certain responsibility. I would suggest and request the Government to think of bringing about a regulatory sphere; because now the Bill does not have that feature, this can only be done legislatively. Maybe, it can be done through a special law or it could be done through a further Amendment.

Then I come to the fourth point of concern and this was briefly touched upon by one of my friends who spoke before me. It is about compliance difficulty. Sir, I want to bring the Government's specific attention to one aspect. The Act now makes a reference to fossil fuels separate from non-fossil fuels, separate from renewable energy, which means non-fossil energy would be energy which is separate from fossil derived energy or renewable energy because non-fossil energy is not defined under the Act. Another part of the Amendment now provides that all the buildings, factories, vessels will now be required that they must have a specified quantity of non-fossil energy. I have two submissions for the Government to consider. One is, when there is going to be a prescription that some part of the energy must be from non-fossil sources, they may have to clarify non-fossil or renewable because, today, with the way the Amendment stands, non-fossil is meant to be different from renewable, and non-fossil would be nuclear or very few areas would come within non-renewable and again, non-fossil. So I would respectfully think that the Government may have to bestow a little attention on this aspect and this was again touched upon by my preceding speaker and I want to quickly touch upon it. If the Government were to specify that a particular building in Delhi must avail 10 per cent of supply from nonfossil or renewable energy, it only gets a supply from the DISCOM. It has no independent source. If it is located in a concrete city like Delhi or Bombay, they would not be able to contract with the private person for availing the renewable energy. So, maybe some arrangement where they can do a compensatory; they can go to some

industry in some other area and say, "Look, I am required to purchase so much, 10 kv of my energy. If you purchase, I pay for it. That must be set-off in my requirement."

Mr. Deputy Chairman, Sir, I quickly touch upon the last point which is the overlapping eligibility, again touched upon. Clause 14A speaks of Energy Saving Certificate, Clause 14AA speaks of Carbon Credit Certificate. Some mechanism may have to be worked out where people don't ask for both benefits or there has to be a relatability between the two. It is a progressive legislation. I support it. I would request the Government to take note of some of these things so that the Bill becomes far more outreaching in terms of what it wants to achieve. Thank you, Sir.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय उपसभापित महोदय, सामान्य तौर पर अधिकांश साथियों ने जो बातें रखी हैं, मैं उनसे संबद्ध करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा और बहुत अच्छा - कोई बिल अच्छा होता है और कोई बिल बहुत अच्छा होता है। अगर यह स्टैडिंग कमेटी तथा बाकी इनपुट्स से आता, तो यह बहुत अच्छा होता। फिलहाल यह अच्छा है। मैं इस फर्क के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यह शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है - आम तौर पर यह रवायत ही खत्म हो रही है कि बिल को लेजिस्लेटिव स्कूटनी के लिए भेजा जाए, वह परंपरा खत्म हो रही है, इसलिए बस यह शिकायत दर्ज करके आगे बढ़ रहा हूँ।

महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि this Bill touches upon an area, एक ऐसी विषय वस्तु पर बात हो रही है, जो हममें से अधिकांश के लिए नहीं है। मुझे इस बिल पर अध्ययन करने के लिए बार-बार ग्लॉसरी रेफर करनी पड़ी, बार-बार यह देखना पड़ा कि मैं क्या देख रहा हूँ। हालाँकि पश्चिम के देशों में इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, पर हमारे लिए यह नया है। इसलिए भी शायद जरूरी था कि इसको एक लेजिस्लेटिव स्कूटनी के लिए, वाइडर इनपुट के लिए भेजा जाता, तो बेहतर होता।

सर, मुझे इस बिल से कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के संबंध में अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि who will do this? रेटिंग कैसे होगी? ऐसा है कि सेबी कमोडिटीज़ को रेग्युलेट करता है और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेशन किमशन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेग्युलेट करता है, लेकिन इस बिल में यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री जी कृपया इस संबंध में बताएँ।

एक बात, जो हमारे कई साथियों ने कही और मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें डोमेन कॉन्फिलक्ट है, क्योंकि दुनिया के अलग-अलग देशों में यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायर्नमेंट के कॉरिडोर से आया है, जबिक यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर की ओर से आ रहा है। मैं इसको कॉन्फिलक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहूँगा, जो संदीप जी ने कहा, बल्कि मैं इसको डोमेन कॉन्फिलक्ट कहूँगा, बजाए इसके कि अगर तय हो गया कि आने वाले दिनों में दोनों मिनिस्ट्रीज़ और मिनिस्टर्स की ट्रेडिंग हो जाएगी।

सर, नॉन-फॉसिल एनर्जी, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत एम्फेसिस है और मैं इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं छात्र था, तब से इस देश में इस पर चर्चा हो रही है, यानी 1983-84 से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर चर्चा हो रही है। उनके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसमें सीजनेलिटी कम्पोनेंट है, फिर हमारे यहाँ हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन्स और ऑपरेशन्स की बात है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने सिर्फ इसको रख दिया है। यह सच है कि एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ी है, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे एक जो इसमें मुझे लगा, ग्लोबल सक्सेस को लेकर जो कहानियाँ बताई गईं, संभवतः उनमें कई सारे किन्तु, परन्तु हैं। कई सारी ऐसी भी चीज़ें इंगित हुई हैं, जिनमें करप्शन की बाते हैं, सर्टेन मल्टीनेशनल क्लाइंटेल को फेवर करने की बात है।

सर, 2020 में ब्लमबर्ग की एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट आई, जो यह कहती है कि largest environmental groups had dealt in meaningless carbon offsets with large multinationals amongst clienteles. पीएटी को लेकर भी कुछ-कुछ संशय और शंका है। बस मैं कुछ चीज़ें क्विकली माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूँगा कि यह जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पर प्रपोज़्ड कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है, यह इनिशियल एलोकेशन ऑफ क्रेडिट्स पर लगभग चूप्पी साधे हुए है। यूरोपियन यूनियन में ऑक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो हम अपने यहाँ कौन-सा सिस्टम फॉलो करने के लिए सोच रहे हैं? हम यूरोपियन यूनियन वाला ऑक्शन सिस्टम फॉलो करेंगे या उसके लिए हमने कोई पद्धति या प्रक्रियाएँ तय की हैं? केल्कुलेशन ऑफ एमिशन, यह भी एक पक्ष है, जिसे मैं समझता हूँ कि सायलेंट है। Has India identified the standard emission factors that can be used to determine emission of individual entities? सर, मार्केट के लिए टाइमलाइंस क्या हैं and when is it expected to be implemented? Would any mechanism be put in place so that the Government and the authorities don't indulge in corrupt practices or favour certain clientele at the cost of others? सर, इस संदर्भ में, मैं सबसे बडी बात यह कहना चाहता था कि इस तरह का बिल, जिसकी सख्त आवश्यकता है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि क्या बिल को सीधे तौर पर यहाँ लाकर रख दिया जाए या इसके दरवाजे खोले जाएं? सर, मैं थोड़ी देर और लूँगा। सर, क्या लेजिस्लेटिव स्कूटनी के लिए इसके दरवाजे खोले जाएं? मैं यह अपील भी कर रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंटरी किमटीज़ के बारे में देश ही नहीं, दुनिया भर में लिखा गया है। इस तरह के कमिटी सिस्टम की बात बहुत कम मुल्कों में होती है, तो अगर हम उन कमिटीज़ के माध्यम से इसे लाते, तो मैं समझता हूँ कि शायद यह बेहतर शक्ल में होता, ईज़ी दु कम्प्रिहेन्ड होता, हम टाइमलाइन समझते, हमें पता होता कि हम फलाने वक्त तक यह कर लेंगे, यह हासिल कर लेंगे, फिर हमें यह भी पता होता कि ऐंड यूज़ कंज्यूमर पर इसका अतिरिक्त बोझ तो नहीं पड़ेगा। ...(समय की घंटी)... एक बात, जो संदीप जी ने नहीं कही, मैं नाम नहीं लूँगा, हर कोई जान रहा है कि एक मॉनोप्लिस्टिक मोनोपलिस्टिक ट्रेंड भी चल रहा है। ...(व्यवधान)...

डा. जॉन ब्रिटास (केरल): आप नाम ले लीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झाः नहीं, मैं संदीप जी की रवायत का ख्याल रख रहा हूँ।...(व्यवधान)... सर, आप ब्रिटास जी के बारे में जानते हैं। ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ...(व्यवधान)...

सर, इन्हें मेरे कुछ सुझाव समझ लीजिए। इन्हें आपत्ति कतई नहीं कहूँगा। यह बिल अच्छा है। यह बहुत अच्छा होता कि जो रास्ते हमने सुझाए थे ...(व्यवधान)... श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : दिल भी अच्छा होता।

प्रो. मनोज कुमार झा: बिल के साथ-साथ दिल भी अच्छा होना चाहिए।

श्री उपसभापतिः प्रो. झा, धन्यवाद। चेयर ने नहीं कहा है कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आप बोल रहे हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा: जी, सर। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सर, जय हिन्द, धन्यवाद।

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 is basically aimed at addressing the core issues which the common people are facing. Basically, this Bill is promoting the centralisation tendency. We are seeing an extreme centralisation in this Bill.

Clause 14 of the Bill is a change of a Section in the main Act. It is enhancing the power of the Union Government. This is the tendency of centralisation. So, it should be corrected. The basic spirit of the nation is decentralisation. This is against the federal structure of our nation. I request you to protect the federal structure of the nation and promote decentralisation. The spirit of the age is to protect the federal structure.

Secondly, this Bill proposes Bureau of Energy Efficiency. Here, we are able to see the centralisation tendency. The Bill proposes only five representatives of the States. It means, a majority of the States would not be able to register their opinion in the Bureau of Energy Efficiency. It means, the Central Government is curtailing the rights of the States. Each and every State has the right to register its opinion. So, that should be protected. A representative of each of the State should be there. This is my request, Mr. Deputy Chairman. Sir, this is a problem not only of a State, it is also the problem of the entire people of the country.

Another point is on the representation of the farmers. Here, the representation of the farmers is not there. In India, 30 per cent of the energy consumption is in the farm sector. But, in this Bill, we are not consulting the farm sector. In the Bureau of Energy Efficiency, the representatives of big corporates are there, including big industrialists and manufacturers. Then, why have they not allowed the representation of farmers and workers? These are very serious questions. The representation of farmers and workers should be there. This is another request from me.

Respected Chair, another point is, carbon trading and energy conservation methods from State to State are different. So, State-specific issues are there. Hence, the Union Government should give the right to the States for managing energy

conservation procedure and method. The right of the State should be protected there also. The building status is also covered in this Bill. There, unilaterally, the Union Government proposed their own specification. Unilateral specification is not good for the development of energy sector in our country. So, State level specification means that the State will make. The Union Government should provide the right to the State for making specification of the building. It should be corrected. It should be included in the Bill.

The last thing is regarding State level designated agencies. Here in this Bill, the Union Government has proposed some new agencies for managing things. My request is, the State level designated agencies are working very well. So, right of the agencies, including Kerala and other States, should be protected and the Government should allow them to continue to work in these States. Independently, an autonomous decision is very important for the development of energy sector. This is my point. Thank you, Sir.

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity. In the year 1917, when the great October Revolution took place, after the victory, the great Lenin stated, 'let us get energy, power; we will lead all the other nations.' Here, the original Act, the Energy Conservation Act, 2001 provides a framework for regulating energy consumption and promoting energy efficiency and energy conservation. It will enable using less energy to perform the same task. The Act has set up the Bureau of Energy Efficiency to recommend regulations and standards for energy consumption. These apply to appliances, vehicles, industrial and commercial establishments and buildings. During the COP-26 summit in 2021, i.e. last year, India made the following commitments which may be relevant for energy efficiency efforts: (i) reducing total projected carbon emissions by one billion tones by 2030, and (ii) reducing the carbon intensity of the economy by 45 per cent by 2030 over 2005 levels. Carbon intensity is defined as the volume of carbon emissions per unit of GDP. In addition, India aims to have 500 GW of non-fossil energy capacity and meet fifty per cent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Against this backdrop, the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 was introduced in Lok Sabha. The Bill seeks to amend the 2001 Act to: (i) facilitate the achievement of COP-26 goals, and (ii) introduce concepts such as mandated use of non-fossil sources and carbon credit trading to ensure faster decarbonisation of the Indian economy. The Bill empowers the Central Government to specify a carbon credit trading scheme. Carbon credit implies a tradeable permit to produce a specified amount of carbon dioxide or other green house emissions. The Central Government or any authorized agency may issue Carbon Credit Certificates to the entities registered and complied with the scheme. The entities will be entitled to trade the Certificates.

The Act empowers the Central Government to specify Energy Conservation Code for buildings. The Code prescribes energy consumption standards in terms of area. The Bill amends this to provide for an 'Energy Conservation and Sustainable Building Code.' This new Code will provide norms for energy efficiency and conservation, use of renewable energy and other requirements for green buildings.

The Bill provides for provisions, including residential buildings, which have a minimum connected load of 100 KW. In my view, it should be applicable to only commercial buildings and residential buildings should be excluded from this provision, because there will be a very few residential buildings which have a load capacity of 100 KW.

The amount of penalty is also very high, namely, Rs. 10 lakhs for violation. It should be reduced to a reasonable amount. The provision of high penalty amount would encourage corruption and harassment to the genuine consumers.

The Bill provides for increasing the Governing Council Members up to 37. Since most of the functions fall under the State jurisdiction, the Government should provide membership for each State in the Governing Council, so that there will be a proper coordination and understanding. Though the Bureau of Energy Efficiency is the regulatory authority, it cannot discharge its functions successfully without the cooperation of the State Governments. The Governing Body of the Bureau of Energy Efficiency has under-utilized funds by around 50 per cent in the last two years! This has to be taken very seriously. Moreover, the Government should launch a campaign for energy-saving bulbs like LED among the general public so that the energy can be saved. The Union Government should launch a special scheme for distributing LED bulbs at subsidized rate, so that more people, especially middleclass and poor, would purchase and use them.

This Government has reduced the Budget for the Solar Energy Corporation, which is the only PSU run by the Ministry of New and Renewable Energy from Rs. 1,800 crores last year to only Rs. 1,000 crores this year. What is the justification?

You have to increase the solar energy; you have to increase the generation of solar power. ...(Time-bell rings)... We have trained manpower; we have land; we have Sun. At the same time, around 60 per cent subsidy on solar panels is being reduced by this Government and GST on it has been increased from 5 per cent 12 per cent! Where is the justification? The import duty on solar panels has been increased. I appreciate that the Government wants to encourage domestic manufacturing

companies. But, the domestic manufacturing companies have to import certain components from abroad. This import duty is going to cost them very heavily. ...(Time-bell rings)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaiko, please conclude.

SHRI VAIKO: Sir, I will take only one minute.

In our region in Tirunelveli, Tenkasi, Tuticorin, Kanyakumari, Nagercoil wind energy is being produced. But, you are reducing the fund allocation. You should encourage more such renewable energy systems which do not pollute the environment.

The jurisdiction of Bureau of Energy Efficiecy in regulating carbon trading is questioned because generally it is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change which is the nodal Ministry in the matter of conservation, carbon credit trading and greenhouse gas emissions. Therefore, the hon. Minister should involve the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in all policy matters. ...(Time-bell rings)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please conclude. I will call the next speaker, Mr. Vaiko.

SHRI VAIKO: I am completing, Sir.

In view of the above, I request the hon. Minister to consider all these things, so that we can give a better environment to the next generation. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken three minutes extra.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Hon. Deputy Chairman, Sir, we are part of the rapidly evolving world. The world, today, evolved to such an extent that, given a choice, many of us would rather stay hungry than allow the power of our mobile to die. It is extremely difficult to comprehend that the first ever cell phone with internet was invented in 2001, just around 20 years before. In the very same year, the Energy Conservation Act, 2001, was passed in this House.

The amendments are welcome and most needed one, taken into account the pace at which the growing and evolving human race is needing power or energy to survive. Countries have started coming together across borders to utilize available resources to sustain the demand of the ever-growing power requirement. Each

country is trying to use the resources that Mother Nature has blessed it with, while simultaneously trying not to allow the Earth to be damaged. Today, it is the question of the survival of the planet for all of us.

The theme of India's G-20 Presidency is extremely relevant "वस्धेव कुटुम्बकम" 'One Earth, One Family, One Future'. Different countries are blessed with different resources, compared to each, like fossil fuels, wind, river and the Sun. Our nation must be appreciated for having accomplished the task of connecting more than 28 million homes in less than 1000 days. However, we must also take into account that to supply power to these 20 million houses and the rest of the nation, we import more than 85 per cent of power in the form of fossil fuels and other natural gases. Even the components of the solar industry, like photovoltaic cells, are majorly imported from other countries. And, this cost of import has been eating away our ability to R&D.

India is blessed with the power of the Sun, the wind, the seas, and the rivers. But, to harness the energy from these sources, we have to take many steps towards R&D. Luckily, the Sun shines brighter on our country. But, the Sun does not shine all the time. So, cost-effective high power density batteries must be developed. And, to do that, we must increase our R&D Budget from 0.6 per cent of our GDP to a much higher percentage like other major economies, for example, China has 2.4 per cent; and, the US has 3.06 per cent. So, it is time that we increase our R&D budget.

The Bill also addresses the building codes, which is a very welcome amendment. But, how can we ensure that the local governments implement them? And, unless these are implemented and followed up, legislation is just a futile exercise. As hon. Member, Dr. Abhishek Manu Singhvi has rightly said, India is an over-legislated and an under-enforced country. Making laws is not enough. It has to be an inter-Ministerial, inter-departmental at every-level approach right down to the farmers. There is too much energy conversation, instead of energy conservation. So, let us walk the talk.

The stubble burning issue of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh can be addressed and, in fact, utilized if industries are allowed to upgrade the boilers and utilize the energy that is in the form of crop stubble, which possesses immense potential energy that is wasted. Thousands and thousands of hectares of land causes uncontrollable pollution. My suggestion is, while the carbon trading and carbon market ecosystem is being developed, can we integrate incentivising of issues, such as, stubble burning and the use of mountains and mountains of garbage in and around the capital as biomass fuel, in combination with corporate social responsibility for industries and also incentivise individual farmers with a system of carbon credit,

which could be sold to the industries. This will create awareness and build up a movement.

"वतन की फिक्र कर, नादां मुसीबत आने वाली है। तिरी बरबादियों के मशवरे हैं आसमानों में।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Shri G.K. Vasan — not present. Next, hon. Shri Shaktisinh Gohil.

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात)ः उपसभापति महोदय, मैं ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक के ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बिल के उद्देश्य और कारण देख रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि इस दुनिया में या देश में पर्यावरण अच्छा हो, हम क्लीन एनर्जी की चिंता करें, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेज हमें न फेस करने पड़ें, यह अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य और कारण के साथ-साथ बिल के जो प्रावधान हैं, उसमें काफी कुछ हो सकता था, जो नहीं किया गया है, इस बात का मुझे दुख है। दिखाने के दांत कितने ही अच्छे हों, इससे कोई फर्क नहीं पडता, लेकिन आपके चबाने के दांत कैसे हैं, उसके ऊपर ही आधार रहता है। महोदय, हमारे देश में कहा जाता है कि जो रुपया बचाया, वह रुपया कमाया के बराबर है। आपने बिल में इसकी चिंता नहीं की है। आपकी खुद की मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट का जो ओज़ोन सेल है, उसने आपको कहा है कि जो कूलिंग डिमांड एक्शन प्लान बने और कूलिंग डिमांड कम हो, उसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। इस बारे में आपको बताया गया है, आपको आगाह किया गया है, लेकिन आप इसकी चिंता नहीं करते हो। आपको जो टारगेट दिया गया है, वह यह है कि 20 से 25 प्रतिशत कृलिंग एनर्जी डिमांड 2037-38 तक आपको कम करनी है। मनोज झा जी सही कह रहे थे। अगर यह स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन होता, आपको सही रास्ता दिखाया जाता और अगर इसमें वे प्रावधान करते, तो अच्छा होता। ऑक्सफोर्ड इंडिया स्टैटिस्टिकल सर्वे में यह आया है कि आज हमारे यहां आठ परसेंट हाउसहोल्ड्ज़ हैं, वे एसी यूज़ करते हैं, लेकिन दस साल बाद हमारे देश में यह सिनैरियो होगा कि 40 परसेंट भारतीयों को एसी यूज़ करने की नौबत आ जाएगी और उनको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यह जरूरत बन रही है। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट आपको कहता था कि आपके दिखाने और चबाने के दांत अलग हैं। आप कहते हैं कि आपको क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना है, आप कहते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, उसे रोकना है। आप क्या करते हो - रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, जिसके ऊपर जीसटी 5 प्रतिशत था, उसको आपने बढाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। क्या ये आपके कदम हैं? मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि फाइनेंस मंत्री जी से बात कीजिए और आपको इसे कंट्रोल में लाने का काम करना पडेगा।

माननीय उपसभापित महोदय, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कन्करेंट लिस्ट एंट्री 38 के तहत है। हर राज्य की अपनी अलग-अलग परिस्थितियां हैं। आप सेन्ट्रल कानून बनाने के बजाय हर राज्य को कहते कि as per Concurrent List Entry 38, हमारा भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है, हम उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पर हम

40 परसेंट फॉसिल-फ्री एनर्जी का सजृन करना चाहते हैं, आप कानून बनाइए - तो हर राज्य अपने हिसाब से कार्य करता। हम राज्य सभा में बैठते हैं, हम स्टेट को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं बहुमत मिल जाता है और कहीं आपके हाथ से शासन चला जाता है, यह लोकतंत्र का दौर है, यह चलता रहता है, लेकिन मैं मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है।

3.00 P.M.

मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाने की बात पर जोर देता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और क्लीन एनर्जी आपकी हुई, अगर एक बॉटलनेक होगा, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इसलिए मैं यह गुज़ारिश करता हूं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अगर हम सोलर एनर्जी पैदा करते हैं - रात में तो सन नहीं है और जरूरत होती है रात को आठ बजे के बाद, जब लोग दफ्तर से छूटे, बिज़नेस करके घर आए, बाहर से घर आए, तो फैमिली के साथ बैठेंगे, तो ऊर्जा की खपत ज्यादा होगी - क्या उस वक्त के लिए दिन की बनी हुई एनर्जी वहां पर सेव हो सके, उसके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा आरएंडडी आप करेंगे या नहीं करेंगे?

माननीय उपसभापित महोदय, मैं बताता हूं कि एक परिवार साधु के पास गया, उन्होंने कहा कि हमारा यह बच्चा गुड़ बहुत खाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इतना गुड़ खाना इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वह हमारी बात नहीं मानता है, वह आपकी बात सुनेगा। आप उसे कह दो कि गुड़ नहीं खाये। गुरुजी ने कहा कि 15 दिन बाद आना। परिवार वापस चला गया। वह परिवार 15 दिन बाद आया, गुरुजी ने बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना। यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। परिवार को ताज्जुब हुआ कि क्या हो गया, यही बात 15 दिन पहले कह देते। जब क्यूरीऑसिटी से पूछा, तब गुरुजी ने कहा कि मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, मैं बच्चे को कैसे कहूं कि तू गुड़ मत खाना। गुरुजी ने कहा कि पहले मैंने 15 दिन गुड़ खाना बंद कर दिया और फिर बच्चे को कहा। मैं इस सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप भाषण तो अच्छे देते हो कि दफ्तर में पंखा बंद करो, परन्तु आप करते क्या हो, उसको भी तो कभी देखा करो। आप कहते हो कि एनवायर्नमेंट बिगड़ रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्युशन हो रहा है। हम बहुत बढ़िया बिल्डिंग में बैठते हैं, आपने क्यों ऊर्जा की खपत की, एनवायर्नमेंट खराब करने के लिए विस्टा प्रोजेक्ट की क्या जरूरत थी? इसलिए आप दूसरों को सलाह देने से पहले गूड़ खाना बंद कीजिए।

माननीय उपसभापित महोदय, मैं उस गुजरात से आता हूं, जहां महात्मा गांधी जी की विचारधारा और महात्मा गांधी जी का असर है। मैं बहुत कम उम्र में - मैं कॉलेज में पढ़ता था और विधान सभा में आ गया तथा एक लम्बे अरसे तक विधान सभा का रिप्रेज़ेंटेटिव रहा। मैंने वहां पर बदलते हुए दौर को देखा है। मैंने गुजरात में देखा था, वहां पर हमारे एक मंत्री बाबूभाई जशभाई पटेल हुआ करते थे, जो पहले मुख्य मंत्री थे। आज तो एनवायर्नमेंट का इतना चैलेंज है। उन दिनों में वे अगर किसी सर्किट हाउस के कमरे में होते थे, तो बाहर निकलने से पहले हर बल्ब को बंद करते थे, कहीं पर एक भी लाइट को खुला नहीं छोड़ते थे और फिर बाहर निकलते थे। वे मुख्य मंत्री थे, लेकिन एक बार भी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली नहीं आये। वे हर बार सर्विस फ्लाइट से आते थे और कहते थे कि हमें यह अधिकार नहीं है कि हम एनवायर्नमेंट को खराब करें। कभी-कभी मंत्री के

तौर पर भी - मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा, एक प्रोग्राम साथ में होता था, तो वे कहते थे कि दो गाड़ियां लेकर क्यों जायें, दो टी.ए. बिल क्यों बनायें, सरकार का खर्चा क्यों बढ़ायें, हम दोनों एक गाड़ी में जायें। इस तरह से मैंने एक गाड़ी में दूसरे मंत्री के साथ जाने वाले भी देखे हैं। मैंने वह दौर भी देखा है। इसके अलावा एक और दौर भी देखा, जहां कभी मुख्य मंत्री सर्विस फ्लाइट से नहीं, बिल्क बेस्ट, वेल लग्ज़रियस एयरक्राफ्ट के बिना गुजरात से दिल्ली नहीं आ सकते थे। वह दौर भी मैंने देखा है।

माननीय उपसभापित महोदय, हमें जो इस बिल के अंदर प्रावधान करना चाहिए था, वह इसमें नहीं किया है। आप कॉर्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि कॉर्बन ट्रेडिंग के लिए रेगुलेशन कौन करेगा? जैसे कि हम शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए सेबी रेग्युलेटरी अथॉरिटी है। सेबी उसे रेग्युलेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन उसका रेग्युलराइजेशन करता है।(समय की घंटी)... सर, मुझे एक मिनट का समय और दे दीजिए। उसी तरह से आप अगर कॉर्बन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई प्रावधान आपके इस बिल में नहीं है। इसके मायने दिखाने के लिए बड़े हैं, चबाने के लिए नहीं हैं। अच्छी मंशा हो, तो अच्छा काम भी उसी दिशा में होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री उपसभापति : माननीय रामचंद्र जांगड़ा।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। मैं 'The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022' के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह विधेयक 2001 में अस्तित्व में आया था - जैसा कि डा. फौजिया खान जी ने बताया है और अब इसमें कुछ नये संशोधन किए गए हैं, जिन पर मुख्य रूप से सभी माननीय सदस्यों ने सदन में कहा है कि कार्बन व्यापार, जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग हो। महोदय, जो सबसे मुख्य बात है और जो इस बिल का उद्देश्य भी है, वह यह है कि हम एनर्जी का जो उपयोग करें, वह दिमागहीन और विनाशकारी उपयोग की बजाय सावधान और सूझ-बूझकर उपयोग करें।

महोदय, जब हम टी.वी. खोलते हैं, तो आधी से ज्यादा दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में देखते हैं। कहीं बर्फीला तूफान चल रहा है, कहीं पर गाड़ियाँ बाढ़ के पानी के अंदर बहती जा रही हैं और कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं। आधे से ज्यादा दुनिया प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। यह सब कुछ दिमागहीन ऊर्जा के उपयोग की वजह से हुआ है। महोदय, यह संशोधन विधेयक हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता और अच्छी सोच का नतीजा है। जैसा कि गीता में कहा गया है,

'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ महोदय, आम आदमी जिन विषयों के प्रति सोया रहता है, जिनके बारे में नहीं सोचता है, मुनि व्यक्ति अग्रिम में उन विषयों के बारे में सोचता है, अग्रिम में उनका प्रबंध करता है। हालांकि हमारे भारत के उत्सर्जन का जो रेट है, वह दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत का उत्सर्जन रेट 1.9 टन है, जबिक अमरीका का 15.5 टन और रूस का 12.5 टन है। यद्यपि इन देशों की तुलना में भारत का उत्सर्जन रेट 1.9 टन है, फिर भी भारत सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अग्रिम प्रावधान किए हैं और हम कह सकते हैं कि इस समय, ऊर्जा के संरक्षण में, इसके उपयोग में भारत का चौथा स्थान है। हमारी जो विंड पावर है, उसमें भी हमारा दुनिया के अंदर चौथा स्थान है। इसके साथ ही सोलर पावर में भी हमारा दुनिया में चौथा स्थान है। हमारी सरकार के बेहतरीन प्रयासों का एक नतीजा आज हम सबके सामने उपस्थित है, जिसकी वजह से भारत प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने से फिर भी बचा हुआ है। महोदय, आगे आने वाले समय में हमें प्राकृतिक आपदाएं न झेलनी पड़ें - जिस तरह से दुनिया बर्फीले तूफान, ज्वालामुखी फटने के कारण परेशान और बाढ़ की चपेट में है, ऐसी विनाशलीला भारत में न देखनी पड़े, इसके लिए अग्रिम प्रबंध करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

महोदय, जैसा कि बहुत से सांसदों ने, मेरे बहुत से साथियों ने चर्चा की है कि इसमें अन्य मंत्रालयों को भी शामिल किया जाना चाहिए, इस पर वाइको साहब ने भी चर्चा की थी कि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरन्मेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी शामिल किया जाना चाहिए, उस संदर्भ में मैं सदन की जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो गवर्नमेंट काउंसिल है, उसका दायरा इस विधेयक के अंदर बढ़ा दिया गया है। महोदय, जो अन्य संबंधित मंत्रालय हैं, जिनकी अभी वाइको जी ने भी चर्चा की है, इनमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अरबन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और अन्य मंत्रालयों को भी शामिल किया गया है। इसमें केवल मंत्रालयों को ही नहीं, यहाँ तक कि जो नॉन-गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है और इसकी संख्या भी 4 से 7 बढ़ा दी गई है। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।

महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह बात भी चर्चा के दौरान कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो पहले प्रबंध किए हैं, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से, हर लिहाज़ से एनर्जी को बचाने के उपबंध किए गए हैं। महोदय, 2021 तक एलईडी की 1.22 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स कर दी गई हैं। महोदय, यह भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और बेहतरीन प्रयास हुआ है। इसके अंदर 8.2 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई है। यह हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सरकार द्वारा पहले से सोचकर इस काम की शुरुआत कर दी गई थी। इसी प्रकार 10,451 इमारतों में एल.ई.डी. बल्ब, 5 स्टार पंखे, 5 स्टार गीज़र्स, 5 स्टार एयरकंडीशनर्स के माध्यम से बहुत बड़ी ऊर्जा की बचत भारत सरकार ने इस क्षेत्र के अन्दर भी की है। भारत के अन्दर 24 परसेंट जो बिजली की खपत होती है, वह हमारी रिहायशी बिल्डंग्स के अन्दर होती है और काफी लम्बे समय से बिल्डंग्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से चलता रहा कि ए.सी. के बिना कोई रह ही नहीं सकता। हमें पानी भी गरम चाहिए, हमारा गीज़र के बगैर काम नहीं चलता, ए.सी. के बगैर काम नहीं चलता।

प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, हम देख रहे हैं कि अब साल के अन्दर 10 महीने गर्मी पड़ती है, वरना हमने तो बचपन से देखा था कि चौमासा सिस्टम हमारे भारतवर्ष में था। चार महीने गर्मी पड़ती थी, चार महीने सर्दी पड़ती थी और चार महीने बरसात का सीज़न होता था, हमारे यहां चौमासा सिस्टम था। आज प्रकृति के साथ दुनिया ने जो छेड़छाड़ की है, अंधाधुंध

वायुमंडल के अन्दर कार्बन का उत्सर्जन किया है, अंधाधुंध फैक्टरियों के माध्यम से, व्हीकल्स के माध्यम से जो गर्मी वातावरण के अन्दर गई है, उन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज आज दुनिया के सामने है। अब साल के अन्दर 10 महीने गर्मी पड़ती है। आधा दिसम्बर बीत जाने के आसपास हम यहां बैठे हैं, लेकिन अभी भी सर्दी का विशेष तौर पर कोई एहसास नहीं हो रहा। साल में 10 महीने ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, मेरे कहने का मतलब यह है। यह बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज, दुनिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाला समय पूरी मानवता के लिए ही बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए यह एनर्जी कंज़रवेशन वाला जो बिल है, इसके अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

मैं थोड़ा सा और जानकारी के लिए सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं, जैसे पीछे चर्चा में भी आया है, वैसे इसके ऊपर डिबेट में ग्लासगो कांफ्रेंस का भी काफी जिक्र हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट का भी जिक्र हुआ है और चर्चा के अन्दर यह भी आया था कि 45 परसेंट उत्सर्जन की रोकथाम का हमारा 2030 तक जो टार्गेट था, मैं प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 2030 तक का 45 परसेंट का जो टार्गेट था, हमने 2022 में ही उसे 40 प्रतिशत तक एचीव कर लिया है। यह एनर्जी कंज़र्वेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और वायुमंडल में जो गर्मी का, कार्बन का अंधाधुंध उत्सर्जन है, उसे बचाने के लिए भारत सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे काफी साथियों ने सुझाव दिया कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के अन्दर भेज दिया जाये। स्टैंडिंग कमेटी के अन्दर भी हम लोग ही तो होंगे, हमें ही तो उसके अन्दर बैठकर चर्चा करनी है तो चर्चा के लिए यहां खुला स्थान है, सब लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, सब लोग महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, सब के सुझावों को नोट किया जा रहा है। कोई भी अच्छा काम हो तो उसमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा काम जितनी जल्दी कर लिया जाये, उतना ही बेहतरीन होता है, वह राष्ट्र के हित में होता है, वह मानवता के हित में होता है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri G.K. Vasan; not present. Shri Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I thank you for giving me this opportunity. According to the last speaker, everything is almost set right and there is no need for discussion. According to him, the Standing Committee is not required; the Select Committee is not required and you can get it passed immediately. That is the only way. Regarding the establishment of carbon market, I would like to ask one thing. The Bill is silent who is going to regulate the Carbon Credit Market. Is it the Bureau of Energy Commission? Is it the only agency? How can one single agency manage the whole India? I came to understand that they are going to charge for certification. In other countries, there are no charges for certification, and I recommend that it should

be provided free to encourage the participant industry. The Bill, *inter alia*, seeks to amend the penalty provisions. The penalties have not been categorised as small, medium or heavy. For small consumers like me, if I invest money in solar, but after investing money, the Government says that this is not the rate and we have reduced the rate. This should not happen and the penalty should not be imposed on the consumers of low-income groups or small business entities.

Then, regarding enhancing the energy conservation and sustainable building codes, there is a concern that the maintenance fees of residential buildings will increase with this new energy-efficient infrastructure. This will, in a way, open big Pandora's Box. Even at present, it takes so much time to get various clearances for a building from various Government agencies and municipal corporations. I am not indulging on that issue, but this will again add one more step in this process. Definitely, the municipal corporations and officials will take maximum advantage of this provision.

In my concluding remarks, I would like to say that the Government should play a proactive role in providing infrastructure for renewable energy sources and carbon trading mechanism and it should not put entire burden on the private sector, and ultimately on the consumers. The Government should financially assist already existing residential buildings to comply with the norms to reduce the carbon footprints. So, I urge upon the hon. Minister to reconsider and make it a consumer-friendly Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Ashok Bahpai; not present. Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba.

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir. I thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the leaders of my Party, BJP, for giving me this opportunity. I rise to speak in support of the Bill.

The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022, which was introduced in Lok Sabha on 3rd August, 2022, and was passed in the same House on 8th August, 2022, is to amend the Energy Conservation Act, 2001, and to empower the Central Government to specify a Carbon Credit Trading Scheme. The Bill also aims to reduce carbon emissions and to address climate change and find out non-fossil energy sources to meet the requirements.

The Bill also seeks to provide regulatory frameworks for (i) carbon trading in India; (ii) encouragement of penetration of renewable sources in energy-mix; and (iii) effective implementation and the enforcement of Energy Conservation Act.

Energy conservation means to reduce the consumption of energy or to limit the use of energy. It means use of fewer energy services or use devices which require less energy, thus promoting conservation of energy. Air pollution due to burning of fossil fuels causes several harmful diseases in humans and animals. Using less energy or conserving energy reduces living expenses and protects the environment from excess use and carbon-dioxide emissions.

India has already announced at COP-26 (26th Conference of Parties) at Glasgow, 2021, the following main points: (i) 500 GW of electricity from non-fossil fuels by 2030; (ii) reduction of carbon emission by additional one billion tonnes and reducing carbon intensity economy less than 45 per cent.

Third point is Net Zero Emission by 2070. Sir, this clearly shows India's sincere determination to work for low-carbon emissions in combating the climate change and also its endeavour to achieve Sustainable Development Goals.

India's sincere effort of Nationally Determined Contribution (NDC) has made changes in climate action much before 2030. India is the only G-20 nation to be in line with 2° C Warming because of its climate action. The per capita energy consumption of India is one-third of the world's average whereas carbon emission was 1.9 tonnes of CO_2 in 2019 compared with 15.5 tonnes for the US and 12.5 tonnes for Russia that year, despite India being the home of one-sixth of global populace.

Globally, India stands fourth in renewable energy power capacity as well as wind power and solar power capacity, having one of the highest growth rates for renewable energy in the world. According to the Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 Report, India attracted an investment of US \$64.2 billion, which, as per our currency, is Rupees 4.7 lakh crores during 2014-19.

Amidst growing energy needs and changing global climate scenario, the Government of India is trying to enhance the capacity of renewable energy by proposing amendments to Energy Conservation Act, 2001. The objective is to enhance demand for renewable energy for sectors such as industries, buildings and transport, etc.

The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 is very much necessary to meet the additional energy requirements for sustainable development as well as a green economy. To attain India's motto 'Leave No One Behind', the Government of India is trying to work in collaboration with domestic and global stakeholders in the energy sector for sustainable non-fossil energy generation.

In conclusion, I would like to say that many countries in the world are making amendments and changes in the energy sector, not to effect the climate change, giving focus on clean energy and energy conservation. India's progress is very

impressive in making Nationally Determined Contributions (NDCs) as announced at COP-26 at Glasgow, 2021. The Energy Conservation Act enacted in 2001, which was amended in 2010, is necessary to make amendments again due to emergence of new factors, namely, (i) to promote new and renewable energy sources and (ii) development of a domestic carbon market.

As far as justification of amendments is concerned, the amendments include, carbon trading and minimum share of non-fossil consumption, helping the country to achieve sustainable development and keeping country's commitment related to climate change. The energy efficiency will be broadened into energy transition giving focus on the reduction of carbon footprints of our economy. However the Bill will support the industries to grow in a sustainable manner. The proposed amendment shall promote use of non-fossil energy sources including green-hydrogen/green-ammonia while making penalties for offenders more effective. Sir, following are the major amendments in this Bill. First major amendment is to have a legal framework to mandate use of non-fossil sources including green hydrogen for energy and feedstock. To reduce carbon emission of Indian economy, we have to use non-fossil energy sources and feedstock like green hydrogen/green ammonia, biomass and ethanol, etc.

Second major amendment is to have a framework for carbon markets. Climate change has become the most important factor of entire ecosystem. Carbon emission from fossil fuel or green house gas emission is responsible for global warming. Now-a-days, carbon markets are playing a very important role in the reduction of carbon emission. Carbon trading can be applied to the private sectors also.

Third major amendment is for bringing large residential buildings within the fold of energy conservation regime. Residential buildings consume about 24 per cent of total electricity in India and this sector is poised for an exceptional growth during the next two decades with an estimated addition of about 3 billion square metres by 2030. The proposal includes expanding the scope of building to include large residential buildings with connected load of more than 100 kilowatt or 120 kVA.

My next point is about increasing the scope of Energy Conservation Building Code (ECBC). The idea of LiFE, (Lifestyle for Environment) Movement was introduced by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji, during the 26th United Nations Climate Change Conference at Glasgow, 2021. The idea promotes an environment conscious lifestyle that focuses on 'mindful and deliberate utilization' instead of 'mindless and destructive consumption'. The scope of Energy Conservation Building Code (ECBC) is proposed to be widened to include renewable energy and sustainable building concepts and to be re named as Energy

Conservation and Sustainable Building Code (ECSBC) which will be implemented through building bye-laws of respective State Governments.

Sir, I will now talk about the amendments in penalty provisions. To make enforcement more effective, penalty provisions are being differentiated based on the area of implementation sectors viz. appliances, industries and vehicles etc. At the same time, penalty provisions affecting a large number of citizens are proposed to be rationalized under the objective of enhancing ease of doing business and ease of living. Penalties regarding non-compliance with the ECSBC are being deleted and these will be administered through provisions of building bye-laws. Similarly, under section 14 (c), the words 'sale or purchase of appliances' are deleted, thereby keeping the accountability for prohibition of inefficient appliance, limited to only manufacturer or importer. This will avoid undue harassment to the retailers, dealers, consumers, etc.

My last point is regarding other amendments. Provisions for inclusion of various Ministries in Governing Council of Bureau of Energy Efficiency (BEE) for better functioning of BEE and powers to State Electricity Regulatory Commissions to have smooth enforcement process are included.

With these few words, I conclude my speech. I wholeheartedly support the Bill and request all the hon. Members to support the Bill to be passed. Thank you.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Thank you so much hon. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak on a very important Bill. With regard to the Bill, it is the need of the hour that we look towards energy conservation as well as energy efficiency. However, I have a few points to make on this particular Bill which need clarity and confirmation from the Energy Minister, and I do it through you, Sir. The Act is allowing the Central Government to specify carbon credit trading scheme, energy consumption standards, standards for equipment and appliances and also decide the penalties applicable. Now, penalties even on residential buildings will be decided by the Central Government and will have to be implemented by the State Governments and more importantly, the local Governments. Not having them as part of this entire discussion mechanism, I think, is faulty to begin with. I had proposed through my Private Member's Bill a Climate Change Council or Board which would be led by the hon. Prime Minister and which should have all the important State Ministers deliberating on something like this because what problems the State of Maharashtra may face in terms of energy conservation and energy requirements could be a lot different from what Himachal Pradesh needs or what Arunachal Pradesh needs. So, it is important to have the voice of State Governments also because they would be final adjudicators. We have spoken about how laws are made and implementations are difficult. This will head towards that.

My second point, Sir, is about what they speak about jurisdiction. Everyone has made a point about jurisdiction. Manoj Jha ji also made a very valid point about Ministry of Environment and conflict with Ministry of Power. I would say jurisdiction should be done through an inter-Ministerial group. Whether it is Coal or whether it is Urban Housing or whether it is Transport or whether it is Civil Aviation, all of them would have to be active partners in making this entire energy conservation an important factor to achieve our goals as committed by the hon. Prime Minister at the COP-26. However, there is no clarity on that particular thing.

On regulation, again, there is residential building dispute. Who will be handling that? Whose jurisdiction does it come under? Are you empowering the States to be able to adjudicate on matters like this? Can you have the State Boards to be able to communicate with the Centre and ensure that the Bill provides the efficiency and conservation that we are seeking? I have just been hearing about carbon trading. It is a very important concept introduced globally. However, I want to know this. Don't we already have renewable energy certificate under the Electricity Act, 2003 which promotes renewable energy? Don't we already have the energy saving certificate under the Energy Conservation Act of 2001 for promoting energy efficiency? We also have a scheme -- Perform, Achieve and Trade (PAT) Scheme. We set such low emission targets there that they became so achievable that nobody wanted to buy the certificates that were being issued. The carbon trading mechanism that you are bringing, I think this needs to be thought through.

On initial auction of these carbon credits, I would want to know this. Will it be done through an auction scheme? This, I think Manoj Kumar Jha *ji* touched upon. If it is done through an auction scheme, it will be a very expensive cost for a lot of smaller companies to bear which need to participate in the carbon trading scheme if they are emitters of fossil fuels or carbon into the environment. So my request would be, initially, allocation of credit scheme should be free of cost. It could be done in a time-bound manner.

The Minister, while introducing the Bill in the Lok Sabha, had observed that India would not export carbon credits. If I am not mistaken this is what he had said. However, global carbon offset market currently contributes 30 million carbon credits by funding carbon absorption projects in India. Don't you think this will hamper it if we do not allow carbon credits to be sold in the global market? I would discourage him from looking at a ban. He should look at regulating that market and see how much of it we can sell in global markets. A lot of private companies have already moved into a

green energy fuel mix. Many of them have set 34 per cent target or 40 per cent target or 50 per cent target and they are working on it. My request would be that a higher set of target should also be introduced for those who have already implemented it. I won't call it penalizing them in any way. I would say that we will only make it more efficient by having private companies becoming a partner in creating this conservation ecosystem.

In the non-fossil fuel obligation, they have mentioned it. Sir, can we have the House in order?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are having a debate. कृपया आपस में बात न करें।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Non-fossil fuel obligation is something that is mentioned in the Bill. However, the sources of energy have not been specified here. What would we look at as non-fossil composition? That is something we should be speaking about. Seasonality, affordability and cost of renewals have already been spoken about. However, my point would be larger. How will we ensure transport? How will we ensure distribution? And how will we ensure continuity of supply? Because India is going to be seeking more energy. We will have more energy consumption as our GDP grows. Private consumption will also increase. How do we ensure there is an undisrupted power supply to at least those companies which are into manufacturing? How do we look at reduction of storage cost? That is also a part which we should be looking at.

This is my last and the most important point and I won't take further time on this. We need to have even a price control mechanism. Biomass has also been mentioned as clean fuel in the amendments which is appreciable. As per a recent survey, price of biomass has absolutely doubled and power plants are looking towards that but now they are turning out to be unaffordable. We have unregulated the fuel price. Many times we hear this. It is totally unregulated and market dependent. But at this point in time when we are looking at a transition to newer energy resources, then we need to see how we can control the price mechanism to ensure that people are encouraged to move towards renewable energy resources.

Sir, those were my few points. With that, I rest my case, and I would request the Energy Minister to address this. Thank you so much.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं इस संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हूँ। 2001 में यह विधेयक आया था, उसके बाद 2010 में इसका संशोधन हुआ और पुन: इसके संशोधन के लिए 2022 में एक विधेयक पारित हुआ, जो इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

आज देश और दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है। ग्लासगो में इसी को लेकर तमाम देशों की बैठक हुई। उस बैठक में यह चिंतन हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को कैसे कम किया जाए - इस दिशा में कुछ निर्णय लिए गए। भारत सरकार ने पाँच तत्व निर्धारित किए, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये पाँच मुख्य कारक थे, जिनको हमने उस ग्लासगो के कॉप-26 की बैठक में निर्धारित किया। उनमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, घरेलू कार्बन मार्केट को विकसित करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को शीघ्र कार्बन मुक्त करना तथा पेरिस समझौते और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न अन्य कार्रवाइयों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु कार्बन ट्रेडिंग और गैर-जीवाश्म स्रोतों के अनिवार्य उपयोग जैसी नई संकल्पनाओं को अपनाना, कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना है। ग्लासगो 2021 की बैठक में भारत ने इन पाँच तत्वों, जिन्हें 'पंचामृत' कहते हैं, इनके ऊपर ध्यान केन्द्रित किया। उसी को लेकर आज नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है।

आप देखेंगे कि हम लोगों ने यह तय किया था कि पेट्रोल में इथेनॉल की जो ब्लैंडिंग होनी थी, उसके लिए 2025 तक 10 परसेंट का लक्ष्य रखा गया था, यानी 2025 तक पेट्रोल में 10 परसेंट इथेनॉल की ब्लैंडिंग की जाएगी, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 2022 में ही हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और आज 2022 में ही 10 परसेंट से अधिक इथेनॉल की ब्लैंडिंग पेट्रोल में होने लगी। अब हमने यह लक्ष्य रखा है कि 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग की जाएगी। इसी तरह से बायोमास के माध्यम से एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करने की दिशा में भी तेजी से प्रयास हो रहा है। हमारा यह प्रयास है कि हम गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दे सकें और इसके लिए इस संशोधन में प्रावधान किए गए हैं। जैसे जो बड़े भवन हैं, जिनमें बिजली की खपत 100-125 मेगावॉट है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे वहाँ पर सौर ऊर्जा या इस तरह के दूसरे उपकरणों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का उत्पादन करें। उनके लिए यह निर्धारित किया जाएगा कि वे जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसका एक हिस्सा इस तरिके के नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित करेंगे। यह उनके लिए आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर, उनके ऊपर दंड का भी प्रावधान होगा। इस तरह की भी व्यवस्था इस संशोधन में की गई है।

मान्यवर, इसके साथ-साथ हमारा यह प्रयास है कि इसके माध्यम से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से शासी परिषद् का गठन करना, ताकि हम इन नियमों का पालन कड़ाई के साथ कर सकें। साथ ही, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद् के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की बात इस संशोधन में की गई है। इस संशोधन में ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता का दायरा भी बढ़ाने की बात कही गई है। कार्बन मार्केट विकसित करने की दिशा में सरकार को प्रयास करने होंगे। ऊर्जा संरक्षण नीति के अंतर्गत आवासीय परिसरों को, जैसा मैंने कहा कि 100 से 120 मेगावॉट ऊर्जा खपत वाले जो भवन हैं, उन सबको इसके दायरे में लाना होगा और उनको भी इन नियमों के अंतर्गत सरकार के जो निर्देश हैं, उनका पालन करना होगा, जिससे कि हम नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। हमारा यह प्रयास होगा कि हम कार्बन उत्सर्जन को जितना हो सके, उतना कम करने की दिशा में काम करें।

मान्यवर, यह जो प्रस्तावित संशोधन है, इसमें सरकार जीवाश्म ईंधन के उपयोग से प्राप्त हुई ऊर्जा का उपयोग करके देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही, 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्मी ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करनी है। हम लोगों ने 'ग्लासगो' की बैठक में तय किया था कि हमें 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा का उत्पादन करना होगा। हमें 2030 तक अपनी ऊर्जा संबंधी कुल आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से करना होगा। हमारे देश में ऊर्जा की जितनी भी खपत है, उसका 50 परसेंट हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का होगा। हमें इस नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और विकास के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और यह भारत का संकल्प भी है। मैं समझता हूँ कि 2030 से पहले इस लक्ष्य को भारत जरूर प्राप्त कर लेगा।

मान्यवर, वर्तमान की तुलना में 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी लाने का लक्ष्य है। यह तभी होगा, जब हम इस तरीके से गैर-परंपरागत ऊर्जा को विकसित करेंगे और कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, जिससे निश्चित रूप से, कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी आ सकेगी। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेन्सिटी में 45 प्रतिशत की कमी लानी है और 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमने यह लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थित में पहुंचेंगे। यह बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन जिस तेजी के साथ सरकार काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह 2070 का जो लक्ष्य है, हम उससे पहले ही इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे।

मान्यवर, आप देखिए, एलईडी लाइट्स का सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग करके सरकार ने एलईडी लाइट्स को बढ़ावा दिया है, जिसने बड़ी मात्रा में बिजली की खपत को कम करने का काम किया है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। देश में विद्युत का जो आवश्यक खर्च है, केवल उतना ही हो, कहीं अनावश्यक रूप से विद्युत का दुरुपयोग न हो पाए और इसकी खपत को कम किया जाए। आज बिजली सार्वजनिक जीवन की सबसे बडी आवश्यकता है और यह आवश्यकता निरंतर बढ रही है। जिस तरीके से विकास की गति बढ रही है, औद्योगिक विकास बढ़ रहा है, वैसे ही बिजली की खपत तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन हमने इसमें कार्बन उत्सर्जन की कमी करने के लिए इस संशोधन में प्रावधान किये हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार इन्हें कड़ाई से लागू करेगी और यह संशोधन पारित होने के बाद, यह विधेयक पारित होने के बाद निश्चित रूप से, देश के अंदर गैर-परंपरागत ऊर्जा के जो स्त्रोत हैं, उनमें तो विस्तार होगा ही, साथ ही, हम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में ठोस कार्रवाई कर सकेंगे, इसलिए यह संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सदन के पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो, यह देश हित में है, आज की आवश्यकता है और वैश्विक चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरीके से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकृल असर पड़ रहा है और इसे लेकर सारी दुनिया चिंतित है, इसके लिए एकमात्र लक्ष्य यह है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें, तभी हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकेंगे और जीवाश्म ऊर्जा का जितना कम उपयोग करेंगे, उतनी ही तेजी के साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी अंकृश लगा सकेंगे। इसके साथ ही, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I think that this Bill has to be taken seriously. It should be improved, should be changed on so many terms and, for that, I may request the Government to refer this Bill to the Standing Committee at least. The Energy Conservation Act, the primary Act, was passed by the Parliament in 2001. To amend it, this Bill comes in 2022. The times have changed and these changes are demanding all of us, pressing all the countries of the world that conservation is a necessity. Climate issues have come to the fore. That is why in COP26, in all such international debates and meetings, climatic issues take the forefront place. Even in G20, the target was, I should say, climate. In the speech of the Prime Minister in G20, he spoke about a nectar, Panchamrit, And, in that Panchamrit, most of the content was focussed on climate issues. In that context, Sir, I feel that it is not the Ministry of Power that should pilot this Bill. That should have been done by the MoEFCC. It was earlier only MoEF. We have added, rightly, Climate Change also to that Ministry. It means that India is responding sensibly to the changes. In that way, I think that there is a clash of interests in this Bill. I request to take up this point also seriously by the Government. Then, I have an apprehension. We are concerned about the carbon emission. The world, as a whole, think about the reduction of carbon and, now, we talk about carbon trade. This Bill is, mainly, focussed on trade of carbon. Trade is not the most important thing but the cutting of carbon use and reduction in the carbon trade. We talk about reduction, reduce, re-use, the three 'R's but you forget that. We talk mainly on trade nowadays. Trade is not going to help us. On this issue of carbon emission, global warming and climate change, no amount of trade will help us. In that way, this Bill has to be altered fundamentally to see that measures to reduce carbon usage should be the main point to be attended to. That is my point. As we see in all the Bills moved by the Government of today, centralization is the key point. This country is a federal country and not a unitary one. But, this Bill, underlies the Government politics of centralization. We can see that there is a Bureau of Energy Efficiency. Who controls it? The main control is by the Union Government. Other Ministries and other States, all are taken to the back benches. That cannot be the approach of the Government today. In that way also, this needs to be changed. You talk about so many measures to be taken. But, one question haunts all of us as to who is the regulator. Who is the regulator? Nobody knows it. The Bill is silent on that point. On the regulatory part of the mission and the tasks, this Bill is disappointedly silent. That is why, I would tell the Government to please see that this should be addressed very seriously when you respond to the discussions here. You talk about the penalty and that penalty is of Rs. 10 lakhs. In the earlier days, we took a serious term which is called a doctrine and which was 'the polluter pays'. Many people

thought that it is a very positive approach that it is imposed at the polluter to pay. But, now what happens is this. This Bill also preach a new tendency to let us first pollute and then to pay. Now, the slogan is that you pollute and you pay. That is not the approach. Reduce pollution, reduce emission and control it. Punish them but instead of that the Government says them, 'You pay us money and you pollute us.' We discuss this Bill in Delhi which is, nowadays, called as the capital of pollution. Air is polluted and the surroundings are polluted. This Bill is also a supportive step towards pollution. That is why, this Bill needs to be overhauled thoroughly. In that way, the democratic and the parliamentary way, to make it an efficient Bill and an effective Bill, is to take it back to the Select Committee at least, and to have a threadbare discussion there. ...(Time-bell rings.)... Otherwise, I have the apprehension that this Bill may fail. I want this Bill to positively guide the nation towards a carbon-free surroundings. That is my intention. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Satish Chandra Dubey.

श्री सतीश चंद्र दूबे (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे कितना समय दिया गया है, क्योंकि दूसरी बार मैं चुन कर आया हूं, तो उसमें मेरी मेडन स्पीच नहीं हुई है।

श्री उपसभापतिः आप ८ से ९ मिनट के बीच में अपनी बात रखिएगा।

श्री सतीश चंद्र दूबेः उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण 'ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022' पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जीवनयापन कर रहे हैं। पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव एवं आम तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल के समग्र तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के कारण हर तरफ ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है।

यह ऊर्जा कैसी हो, इसकी दक्षता कैसी हो, इसका व्यापार कैसे हो, यह आम लोगों तक कैसे पहुंचे और विशेषकर ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हो इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर इस विधेयक को लाया गया है।

वर्ष 2001 में 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम' अधिनियमित किया गया था और वर्ष 2010 में संशोधित कर इसमें बहुत से नए कारकों को जोड़ा गया था। यह विधेयक देश में हिरत हाइड्रोजन सिहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और कार्बन व्यापार के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने में योगदान करने वाला है। हमारी सरकार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास कर रही है, जिसके लिए बहुत से कार्यक्रमों में तेजी लाकर और नए ऊर्जा सुधार लागू कर उसने अच्छी प्रगति भी की है।

भारत ने वर्ष 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का समर्थन किया, जिसके तहत इसके सदस्य देशों ने सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की प्रतिबद्धता जताई है।

हाल ही में ग्लासगो, ब्रिटेन में कॉप-26 सम्मेलन में भारत ने पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिन्हें पंचामृत कहा गया है। भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी। भारत वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा और कार्बन उत्सर्जन में लगभग एक अरब टन की कमी होगी। हमारी सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

वर्ष 2014 से अब तक माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण कायाकल्प कर दिया है। वर्ष 2014 में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 2,48,554 मेगावॉट थी और पूरे देश में नियमित रूप से लोड शेडिंग होना एक आम बात थी। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बिजली उत्पादन क्षमता में 1,69,110 मेगावॉट का समावेश किया है। अब हमारे पास 400 गीगावॉट की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है, जबकि अब तक की अधिकतम मांग 215 गीगावॉट की रही है।

महोदय, एक देश, एक ग्रिड के तहत पिछले आठ वर्षों के दौरान सरकार ने पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक एकल विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ा है। भारतीय ग्रिड अब दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड बन गया है।

महोदय, सबके लिए बिजली सुलभ हो, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश में 20,000 से अधिक गांव और हजारों बस्तियां बिजली से जुड़ी हुई नहीं थीं। 15 अगस्त, 2015 को प्रधान मंत्री, मोदी जी ने लाल किले से 1,000 दिनों में प्रत्येक गांव को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की। यह एक कठिन चुनौती थी, पर सरकार ने निर्धारित तिथि से 13 दिन पहले, यानी 987 दिनों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

वर्ष 2018 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस उपलब्धि को दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर करार दिया। इसके बाद प्रधान मंत्री जी ने देश के हर घर को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा। हमने इस काम को भी 18 महीने में पूरा कर लिया। कुल 2.86 करोड़ घर बिजली से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में दो बड़ी क्रांतियां एलईडी और एलपीजी के संबंध में हुईं। दुनिया के कई देश भारत आकर एलईडी क्रांति को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार भारत ने इतना बड़ा कार्य आसानी से कर लिया। दूसरी, एलपीजी क्रांति है। हमारी सरकार ने एलपीजी क्रांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचा दिया। अब भारत के गांवों में हमारी मां-बहनें गैस के चूल्हे पर भी खाना पकाती हैं। वे बहुत कम लकड़ियां जलाती हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य हर घर में रूफ टॉप लगाना और हर सिंचाई पम्प को सौरकृत करने का है, जिस पर हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। मैं संपूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे वर्ष 2005 का वह दिन याद है, जब मैं विधायक के रूप में चुना गया था और उस समय जिस गांव में बिजली हुआ करती थी, उस गांव को वीआईपी कल्चर से देखा जाता था। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, जिस गांव में बिजली हुआ करती थी, वहां ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलता था। बिजली दो घंटे के लिए आती थी, तो बच्चे मोबाइल चार्ज करने के लिए दौड़ पड़ते थे, उस कंडीशन में बिहार था। उस समय की एनडीए सरकार ने विधायक के लिए दौड़ पड़ते थे, उस कंडीशन में बिहार था। उस समय की एनडीए सरकार ने विधायक

ऐच्छिक कोष से ट्रांसफॉर्मर खरीदने के लिए अनुमित दी, तो हमने ट्रांसफॉर्मर खरीदकर देने का काम किया। वर्ष 2014 के पहले ऐसे बहुत से गांव थे, जहां बिजली गई ही नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद आज 22-23 घंटे बिजली मिल रही है। यह सबसे बड़ा गर्व का विषय है। आज कृषि के लिए बिजली देने की बात हो रही है, हर खेत में बिजली से पानी निकालने की बात हो रही है। यह किसानों के हित में सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, मैं बिहार के चम्पारण इलाके से आता हूं, जो गांधी जी की धरती है। पूर्व की सरकारों ने केवल गांधी जी का नाम भुनाया, लेकिन चम्पारण की बिजली, स्वच्छ पानी और किसानों के लिए कुछ भी काम नहीं किया था। मोदी सरकार ने हर पहलू पर काम करने का प्रयास किया है। आज चम्पारण ही नहीं, पूरा देश बिजली के मामले में काफी अग्रेसिव है और कृषि से किसानों की आमदनी बढ़ रही है, जल संसाधन की व्यवस्था भी ठीक हो रही है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। देश ग्लोबल वार्मिंग से बचे, इसके लिए मंत्री जी ने हर न्यूनतम प्रयास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मैं इन्हीं शब्दों साथ आपको बहुत बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak on this Bill. I rise here today to support the Bill. The biggest problem that the world is facing today is the climate change and global warming. At the right moment, hon. Minister has brought the Amendment to the Bill, which was introduced earlier, against the old Act of 2001. I must compliment the hon. Minister. I must compliment the hon. Prime Minister, Narendra Modi*ji*, under whose leadership the Government has brought this Amendment.

4.00 P.M.

Sir, the 26th U.N. Climate Change Conference of the Parties (COP26) was held at Glasgow in Scotland. In the said Glasgow Conference, India gave a big promise. In the Glasgow Conference, India committed to the world that by 2030, India would produce 500 GW of energy from non-fossil sources. It is very important. In the same Conference, India announced that it would produce 500 MW energy from fossil sources. Out of this 500 MW, India is going to produce 50 per cent from the renewable energy sources. Against the global warming, renewable energy sources are the most important weapons. We can derive energy from the hydro projects, thermal, nuclear plants or from renewable energy sources. But, the most efficient and the significant one is the renewable energy source. Germany is a developed country. Germany said goodbye to the nuclear energy. There is no question of thermal plants' necessity in Germany. They have given a total emphasis on the renewable energy generation. Germany is a very successful country in that. The German economy is totally dependant on the renewable energy. Being an Indian, I am really proud to say

that the Cochin Airport of India is the first renewable energy-based airport in the world. I must compliment the Airports Authority of India.

Sir, who is polluting in our country? After studies, it is clear that industries have created most of the trouble and they effected in the global warming and climate change. The Government took many initiatives, including some leading Non-Government Organisations, to draw the attention of the people towards global warming and climate change, but they were not successful. I hope, after amending this Bill, the people will gain a new wisdom and successfully work against global warming and climate change. I welcome the move of the Government of India to amend the Bill and to provide a legal framework for the non-fossil sources of energy to generate green energies.

I also welcome the inclusion of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, the Ministry of Housing and Urban Affairs, the Ministry of Steel, the Ministry of Railways, the Ministry of Civil Aviation, the Ministry of Ports, Shipping & Waterways as new members in the Governing Council of the Bureau of Energy Efficiency in order to effectively contribute to climate change efforts.

A speaker previous to me spoke about ethanol. It is very important for a country like India. Now, India has taken initiatives to spend money on the renewable energy sources. I hope, now the Government will give an enhanced budgetary support to ethanol. The Bill has spoken on the promotion of the use of ethanol. I hope, the Government would give more budgetary support.

With these words, I support the Bill and I must compliment the Government for the Amendment. I hope this Amendment would be helpful to challenge climate change and global warming. Sir, the main objective of the Bill is....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Please sit down.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, just one minute. The main objective of the Bill is less energy and clean environment and I hope this Amendment will succeed in achieving it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prakash Javadekar; not present. Shri Ramji.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद मान्यवर। साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उपसभापित महोदय, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने

जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे अंतिम बार 2010 में संशोधित किया गया था।

मान्यवर, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत बीईई की स्थापना की गयी। जो विभिन्न उद्योगों की बिजली खपत की निगरानी और समीक्षा करने वाली ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट करता है। मान्यवर, इस अधिनियम के तहत जो मेन उद्देश्य बताया गया है, वह कार्बन का उत्सर्जन कम करने का बताया गया है। इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना होगा।

मान्यवर, इस विधेयक को लाने के बाद अगर सही मायने में काम हुआ, तो 100 प्रतिशत हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। मुझसे कई सांसदों ने बोला भी है कि इस सरकार के काम करने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं, क्योंकि अभी भी लुटियन ज़ोन में पर जितने भी सरकारी बंगले बने हुए हैं, उनमें जो सोलर एनर्जी के पैनल लगे हुए हैं, उनमें से लगभग 80 परसेंट वर्किंग नहीं हैं। इसलिए जो माननीय मंत्री जी बिल लेकर आये हैं, वह सही मंशा के अनुरूप लाया जाये और फिर उसके अनुसार काम भी किया जाये।

मान्यवर, इसके साथ ही जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन-बिजली को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें इन सभी प्रोजेक्टों पर काम करने की जरूरत है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बड़े-बड़े डैम बनाने की आवश्यकता अपने देश में है।

मान्यवर, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरणों की क्वॉलिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई सारी कम्पनियां लो क्वॉलिटी के उपकरण बाजार में उतारती हैं, जो कि गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं। साथ ही उनमें बिजली की ज्यादा खपत होती है।

मान्यवर, सौर ऊर्जा भारत के हर गांव में एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। सुदूर क्षेत्रों में, जंगलों में और शहरों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन हमें सौर ऊर्जा को और प्रमोट करने की जरूरत है। इसमें लगने वाले उपकरणों, रॉ मैटीरियल्स पर हमें छूट देने की जरूरत है, उनको प्रमोट करने की जरूरत है, आरएंडडी करने की जरूरत है, साइंटिफिक टीमों को लगाने की जरूरत है कि कैसे हम कम से कम पैसे में सौर ऊर्जा को बना सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इसको गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी फ्री कर देना चाहिए। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो हमें इन सब चीजों पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारा इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पांच से दस परसेंट का लक्ष्य चावल से इथेनॉल बनाने का रखा गया है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। इस देश में आज भी बीस करोड़ लोग रात में भूखे पेट सोते हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है। इसलिए चावल से इथेनॉल बनाने का जो प्रोजेक्ट सरकार ला रही है, उसको तुरन्त बंद कर दिया जाये। इस वक्त हमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं, हमें गरीबों के पेट की भी चिंता होनी चाहिए। अगर इथेनॉल बनाना है, तो वह गन्ने से बनाया जाए। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को इस संबंध में और भी जो स्टेप्स हैं, उन्हें लेना चाहिए। मान्यवर, इस बिल में इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही, हम फिर से कहना चाहते हैं कि जीवाश्म रहित ईंधन का प्रयोग होना चाहिए। जो जीवाश्म ईंधन है, इस पर हर हालत में हमें अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहिए और नये-नये तरीकों को लाकर, नई रिसर्च टीमों

को लाकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं बातों को मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

श्री उपसभापतिः धन्यवाद माननीय रामजी। डा. राधा मोहन दास अग्रवाल जी।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, संस्कृत का एक श्लोक है-

> 'यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते । ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव हि ॥13॥'

महोदय, जो व्यक्ति दीर्घकालिक हित, दीर्घकालिक जरूरत और आवश्यकता को छोड़कर तात्कालिक और अल्पकालिक लाभ की दृष्टि से काम करता है, उस व्यक्ति के साथ तात्कालिकता रहती नहीं है और दूरकालिकता वह स्वयं छोड़ चुका होता है। पर्यावरणीय संतुलन के साथ अगर भारत को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया के सारे देश ठीक यही आचरण कर रहे हैं। महोदय, अकेले हम हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ एवं पूरे समर्पित भाव से पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधे पर लादे हुए आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के सामने एक उदाहरण रखने का प्रयास कर रहे हैं। जान सब रहे हैं, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रहा। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सोया हो, तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो, तो उसे भगवान भी नहीं जगा सकते।

महोदय, पूरी दुनिया जानती सब है, लेकिन आँख बंद किए पड़ी है। जिस प्रकार से पिछले दो, तीन दिनों से लगाकर पर्यावरण से संबंधित दो, तीन सवाल यहाँ पर रखे गए हैं - माननीय प्रमोद भाई यहाँ बैठे हैं, आपका ही एक सवाल, शायद समुद्र के लेवल को लेकर यहाँ लगा था। महोदय, ये सभी सदस्य भी चिंतित हैं। ये भारत के हैं, इसलिए चिंतित हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे लोग चिंतित नहीं हैं। महोदय, वातावरण की जो स्थिति दिख रही है और जिसे पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, मैं उसी पर यह कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी समाप्त होते-होते हमारे जंगल की एक तिहाई जमीन बंजर बन चुकी होगी, हमारे तकरीबन तीन सौ करोड़ से लेकर साढ़े तीन सौ करोड़ लोग खतरे में जा चुके होंगे और हमारे सत्तर करोड़ लोगों की स्थिति यह होगी कि वे करीब-करीब अपनी जमीनों से उखड़ चुके होंगे। महोदय, आप समुद्र के लेवल का सवाल पूछ रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 वीं सदी जाते-जाते समुद्र का लेवल 1 से 2 फीट तक ऊपर हो चुका होगा।

महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से लक्षद्वीप भेजा जाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्षद्वीप के चारों ओर की सुरक्षा उसकी कोरल रीफ करती हैं, अन्यथा वह समुद्र की लहरों में कब डूब जाए, पता नहीं चलेगा। अगर टेम्परेचर का इसी तरह से बढ़ना जारी रहा, अगर डेढ़ डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ गया - दो डिग्री पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा, तो इन सारी कोरल रीफ्स का बहुतायत हिस्सा समाप्त हो जाएगा और वहाँ की सभ्यता खतरे में आ जाएगी। महोदय, आज पर्यावरण पर ये

सभी प्रभाव पड़ रहे हैं। यह डॉक्युमेंट भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बना रही है, लेकिन वे उस रास्ते पर चल नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा और माननीय मंत्री जी के माध्यम से अपने माननीय प्रधान मंत्री जी को भी बधाई दूंगा - वैसे मुझे मालूम नहीं है कि आपने शुरुआत में अपना विचार रखा है या नहीं रखा है।

महोदय, अभी कॉप-27 हुआ। 22 नवंबर को एक डेटा प्रकाशित किया गया। 22 नवंबर के उस डेटा में एक क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स बताया गया है। यह क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इसमें यह बताया गया है कि वे कौन-से देश हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन से और इसमें आने वाले परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए सबसे ज्यादा जागरूक हैं। हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि उस पूरे के पूरे परसेप्शन इंडेक्स में अगर स्वीडन, डेनमार्क, मोरक्को और चिली जैसे छोटे-छोटे देशों को छोड दिया जाए, तो सारे बडे देशों के बीच में अगर सबसे पहला स्थान किसी का है, तो वह मोदी जी के भारत का है। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं इसके लिए माननीय अक्षय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई दूंगा। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। एक जर्मन वॉच ग्रुप है, जो पूरी दुनिया पर निगाह रखता है कि कौन-से देश पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। उनके आंकडे चार आधारों पर निर्धारित होते हैं। वे 40 परसेंट इंडेक्स ग्रीनहाउस एमिशन को देते हैं, 20 परसेंट इंडेक्स रिन्युएबल एनर्जी को देते हैं, 20 परसेंट इंडेक्स एनर्जी यूज़ को देते हैं और 20 परसेंट इंडेक्स क्लाइमेट पॉलिसी को देते हैं। सारी इंडेक्सिंग करके, जो आंकडा सामने निकलकर आया है, उसमें अगर किसी का सर्वोत्तम और पहला स्थान है, तो वह भारत का स्थान है। और हो भी क्यों नहीं! उपसभापति जी, मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, जब 2014 में मोदी जी आये तो अचानक उनकी ओर से एक घोषणा आई। घरों में हम लोग अपने बल्ब लगाया करते थे, 60 वॉट के, 100 वॉट के और बडी-बडी ट्युबलाइटस लगाया करते थे। अचानक उनकी ओर से एक घोषणा आई कि हम सस्ते में एल.ई.डी. बल्ब बेचेंगे। एल.ई.डी. बल्ब बेचने का काम 'उजाला' योजना के तहत शुरू हुआ। मैं भी सोचने लगा और बहुत से लोग सोचने लगे कि अब प्रधान मंत्री का काम यही बच गया है कि वे एल.ई.डी. बल्ब को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं। जनता के बीच में इस बात की चर्चा होती थी कि सरकार को एल.ई.डी. बल्ब बेचने की क्या जरूरत पड़ गई। उस जमाने में जैसे 'जन-धन योजना' माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की थी तो हममें से बहुत से लोग कहते थे कि यह, क्या मतलब है? जिसके पास पैसा नहीं है, उसका बैंक में एकाउंट खुलवा कर क्या करेंगे? जब 'जन-धन योजना' में अकाउंट खूले और ढेर सारी योजनाओं में हम अकाउंट के माध्यम से धन देने लगे तो हमें समझ में आया कि इन 43 करोड 'जन-धन योजना' के खातों का लाभ नागरिकों को हम कैसे दे रहे हैं। कोई प्रधान मंत्री कहता था कि एक रुपया यहां से चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है और हमारा प्रधान मंत्री कहता है, गारंटी के साथ कि एक रुपया चलेगा तो एक रुपया ही पहुंचेगा।

[उपसभाध्यक्ष (डा. एल.हनुमंतय्या) पीटासीन हुए।]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे नहीं मालूम, मगर विधान सभा में तो हम लोग अधिष्ठाता ही कहते थे। उपसभाध्यक्ष महोदय, 'उजाला' योजना जब शुरू की गई, शुरू होते-होते पता नहीं चला, लेकिन आज का जो आंकड़ा है, 'उजाला' योजना के नाते कुल चार करोड़ टन कार्बन डाईऑक्साइड इक्विवेलेंट बिजली की बचत प्रति वर्ष भारत में होती है। माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, अभी अचानक आ गये। अच्छा हुआ, बधाई तो सामने देनी ही चाहिए। इसलिए देनी चाहिए कि किस प्रकार से रेल मंत्रालय ने अपनी नीतियों को बदला और इस चुनौती को स्वीकार किया, जो चुनौती मोदी जी ने दी थी, उस चुनौती को रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया कि 2030 आते-आते हम रेल मंत्रालय के सारे के सारे काम को नेट ज़ीरों कार्बन एमिशन पर लाकर पटक देंगे। यानी शुरुआत के दौर से, 2014 से जो नीतियां माननीय मोदी जी ने बनानी शुरू की थीं, आज उनका फल मिलने लगा है। हमारे कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि 400 गीगावॉट बिजली बनती है। इस 400 गीगावॉट बिजली का 42 परसेंट ...(व्यवधान)... अच्छा, आप इतने सुन्दर हैं, मैं आपको क्यों न देखूं! आप क्या बात कर रहे हैं! You are such a smart fellow.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No cross-talking, please. ... (Interruptions)... No cross-talking, please. ... (Interruptions)...

डा. **राधा मोहन दास अग्रवालः** 400 गीगावॉट में से 173 गीगावॉट ...(**व्यवधान**)...यह हमारी जॉन ब्रिटास की विशेष दोस्ती है। ...(व्यवधान)...आप हमारे साले हैं, भाई।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No cross-talking, please. ... (Interruptions)... No cross-talking, please. ... (Interruptions)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवालः 400 गीगावॉट में से 173 गीगावॉट रिन्युएबल एनर्जी भारत इस समय बना रहा है। हमारे 500 गीगावॉट के नॉन फॉसिल का 250 गीगावॉट का लक्ष्य हम आज ही पूरा कर चुके हैं, 2030 आते-आते हमें बचे हुए हिस्से को पूरा करना है। हमने जो रास्ता तय किया था, उस रास्ते पर चलते हुए इस कानून को लेकर हम इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत जी-20 समिट का अध्यक्ष है। ...(समय की घंटी)... मैं बस खत्म कर रहा हूं। जी-20 का ऐसा कोई देश नहीं है, जो भारत के मुकाबले चुनौती में कहीं खड़ा हो सके, हमने अच्छा काम किया है, हमने पर्यावरण की चिन्ता की है। जो करता है, वही कह सकता है। गांधी जी के पास एक बच्चा आया, कहा कि गुड़ खाना छोड़ दो, गांधी जी ने कहा-कल आना, कल आना, बार-बार कहा - सातवें दिन उन्होंने बच्चे से कहा कि गुड़ खाना छोड़ दो। उसकी मां नाराज़ हो गई तो गांधी जी ने जवाब दिया कि जो काम मैं खुद नहीं करता हूं, वह दूसरे को कैसे कहूंगा! भारत सरकार उस काम को खुद करके जी-20 के समिट में अब उन्हीं प्रावधानों को लागू कराने का प्रयास करेगी।

में माननीय मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बिल के लिए बहुत-बहुत श्रद्धावाद और बधाई देता हूं, धन्यवाद।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you for having given me this opportunity.

In the Conference of Parties 26 held in Glasgow, the hon. Prime Minister of India has given five commitments which have been termed as panchamrit by the Government. This Bill aims at giving shape to those commitments given by the Government at COP 26 held in 2021 in Glasgow. Those commitments are: Firstly, India will reach its non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030. Secondly, India will meet 50 per cent of its energy requirements from renewable energy by 2030. Thirdly, India will reduce the total projected carbon emissions by one billion tonnes from now onwards till 2030. Fourthly, by 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45 per cent. And, lastly, by the year 2070, India will achieve the target of Net Zero. The Government claims that these panchamrits will be an unprecedented contribution by India to climate action. But the subject of climate change is dealt under environment laws, which can be formed under Entry 97 of List-I but not under Entry 38 of List-III. Therefore, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change is the proper body to moderate it and to organise it. This Bill seeks to mandate the use of non-fossil sources including biomass and ethanol for energy and feedstock along with the use of green hydrogen and green ammonia. It also proposes to enhance the scope of Energy Conservation Building Code and bring large residential buildings within the ambit of energy conservation regime. This Bill brings clarity regarding the Building where the Energy Building Conservation Code is applicable. If the Government included the definition of 'building' in terms of extent of the area of the building, it would have brought much clarity. More clarification is required to be given in the enactment.

This Bill brings in two new concepts to the Principal Act, which was enacted in the year 2001 - 'Carbon Credit Certificate and Carbon Credit Rating Scheme'.

There is a new concept of carbon market. I have a very serious apprehension for which I am seeking a detailed clarification from the hon. Minister of New and Renewable Energy. This is a new concept incorporated in this Bill. I reasonably apprehend that this Amendment Bill is designed with the sole objective of facilitating carbon trading. I would like to draw your attention to one more point. It is very interesting to note the meaning of 'carbon trading' or 'carbon market'. It is not defined in the Bill. That is my strong objection. I could understand what carbon trading is. The carbon trading is a system of country's meeting the national carbon dioxide reduction by buying carbon credit as earned when a firm funds a project for a technology that is less polluting than the other options. For example, carbon emission is less polluted from gas-based power plants than the diesel-based ones. I would like to know whether the amount of carbon saved is the credit. This is my information or my knowledge. Here, in this Bill, I would like to seek one clarification from the hon.

Minister. Has the carbon trading or the carbon credit scheme been explained? Nothing has been explained in the enactment. Sir, sub-clause 2(db) is the definition clause or the explanation clause for the carbon credit trading scheme. It is the scheme for reduction of carbon emission notified by the Central Government under clause (w) of Section 14. In sub-clause 2(db), it is stated that it will be specified in clause (w) of Section 14. What Section 14(w) does say? It says that the Central Government may in consultation with the Bureau of Energy Efficiency specify the carbon credit scheme. In Section 13 also it is explained. In Clause 4, sub-clause (iv) (te), it is mentioned that the Bureau of Energy Efficiency has the power to recommend to the Central Government on the requirements to be specified in the carbon credit scheme. The requirements to be explained or incorporated in the carbon credit scheme will be recommended by the Bureau of Energy Efficiency. Section 14(w) will explain or specify a scheme and the definition says that it will be as per Section 14(w).

Though the Government has fixed a target to reach non-fossil energy capacity to 500 GW by 2030, whether it is achievable or not remains to be seen in the coming days. In the reply to an Unstarred Question No. 1085 in Parliament, the Minister has stated that as on 30.6.2022, it has installed capacity of 160.92 GW of renewable energy. This includes 57.71 Gigawatts solar power, 40.79 Gigawatts wind power, 10.68 Gigawatt bio power, 4.89 Gigawatts small hydro power and 46.85 Gigawatts large hydro power.

Further, projects of 74.76 Gigawatts capacity are under various stages of implementation. Moreover, 23.14 Gigawatts capacity are under various stages of bidding. All these come together to 258.82 Gigawatts. The remaining 241.18 Gigawatts has to be achieved within a period of 8 years.

Though the Government has fixed a noble task, its achievement depends upon the Government's effort and dedication.

Sir, as far as the carbon trading certificate is concerned, there is no regulatory body in the Bill. ..(Time-bell rings.)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Yes, Sir.

A regulatory body should be established to regulate the carbon credit certification in the open market.

With these few submissions, I extend my heartfelt thanks to the hon. Vice-Chairman for giving me this opportunity. I request the hon. Minister to look into these points and clarify the issue.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Now, I request Dr. Laxmikant Bajpayee; not present. Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of AIADMK Party, I am supporting the Bill brought out by the hon. Minister before this House.

The Bill seeks to provide regulatory framework for (i) carbon trading in India, (ii) encouragement of penetration of renewable energy, and (iii) effective implementation and enforcement of the Energy Conservation Act.

Sir, I want to bring to your kind notice certain things in regard to this Bill. The encouragement of penetration of renewable energy means that we are making more renewable energy in India, especially, Tamil Nadu stands first in the production of solar energy as well as wind energy because of the efforts made by former Chief Minister, our late Madam, Amma, Jayalalithaaji and also by Edappadi Palaniswamiji. During this period of 10 years, a lot of efforts were made by the Government to implement the scheme due to which Tamil Nadu now stands number one in renewable energy. ...(Interruptions)... I am mentioning it. I am coming to the point.

Next, Sir, energy conservation means reduce the consumption of energy or limit its use. In order words, use fewer energy services or use devices which require less energy, or, refraining from using services or products is one way to conserve energy.

Nowadays, energy conservation is very difficult. Whatever we do, energy is required in so many things like for production and for various other things. Here the Minister said, the residential buildings are consuming nearly 40 per cent of the total energy which we are producing, that is, the electricity.

Sir, 'electricity' is in the Concurrent List. But both the State Government and the Central Government are playing the games. As far as our previous AIADMK Government was concerned, during our time the price of electricity was very less. But since the new Government has taken over in Tamil Nadu, the prices are doubled. All the consumers are suffering in Tamil Nadu because of increase in the price of electricity in Tamil Nadu. ...(Interruptions)... I want to request the Government to come forward ...

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): This is the policy of the Government. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: That is why I want to know it. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please. ...(Interruptions)...
Please sit down. ...(Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: This is the forum. I want to know from the hon. Minister whether this Government directed the State Government. Excuse me, Sir. I want to know from the hon. Minister, as our hon. Member said, whether the Central Government directed the Tamil Nadu Government to increase the electricity charge. I want to know it from the Government because they have said so many things in the election promises. But now they have increased the electricity charges. ...(Interruptions)... Because of it, I am saying, the common man is suffering. As is said, airconditioner and everything else has become essential now. Because of pollution and other conditions that we are facing in India, we cannot avoid using air conditioners. You may know how Bangalore has developed. Thirty years ago, I have seen it as a small town. Now it has grown into the largest city in the country. More and more multi-storeyed buildings are coming up and so is pollution. In such a situation, people will have to use air conditioners; we cannot avoid that. When that is the case, you cannot stop such things from happening. As the Minister was saying, nearly 40 per cent of the electricity is used up by 25 per cent of such buildings. I support and appreciate this Bill, but, at the same time, I request the Union Ministry to direct the State Governments not to increase the cost of electricity as the common man is suffering. In Tamil Nadu, especially, people are suffering a lot. ...(Interruptions)... Dr. John Brittas, why are you supporting them? You must support me. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Dr. Brittas, please hear him. ...(Interruptions)... Please hear him. ...(Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: You are also suffering. That is why I am asking the Central Government to support you. ... (Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: I would support you if you come to this side. ...(Interruptions)... डा. तंबी दूरे को मिनिस्टर बनना है।...(व्यवधान)...

DR. M. THAMBIDURAI: I must say that Shri Narendra Modi is a good Prime Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Dr. Thambidurai, don't address Dr. Brittas. Please address the Chair.

DR. M. THAMBIDURAI: Everybody is talking about G-20. Shri Narendra Modi is our Prime Minister, who is appreciated not just in India but also throughout the world. That is why I am on this side and I am supporting this Government. We are a partner in the NDA. Why are you opposing that? ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Let him speak. ...(Interruptions)... Let him say whatever he wants to(Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: You are welcome to join this side. You can also support our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Dr. John Brittas, your wishes are there. Let him speak. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: We must appreciate the steps being taken by the Central Government and Shri Narendra Modi. You must appreciate that. You may come here and join me in supporting him. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please continue speaking on the Bill.

DR. M. THAMBIDURAI: I would like to make just one more point here. We are also using nuclear power in this country. We are generating atomic energy at the Kundankulum Plant. When the project was initially being taken up, some States like Kerala refused to take it up. But now they want a share out of the atomic energy for their State. ... (Interruptions)...

डा. जॉन ब्रिटासः हमने कुड़नकुलम प्रोजेक्ट का समर्थन किया था, हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं थे। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please sit down, Dr. John Brittas. ... (Interruptions)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I would request the hon. Minister that States that refuse to take up atomic energy plants must not be given any share out of the electricity generated by these plants. Only then would other States come forward. Otherwise, when you give power to States that do not support the project, which our State took up....(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): What is the Rule?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, it is Rule 111. The Member has wrongly quoted Kerala. Actually the CPI(M) Government in Kerala supported the Kudankulam Project. ...(Interruptions)... We were against the deal with the US and the Minister said कुछ नहीं हुआ है। न्यूक्लियर पावर का शेयर सिर्फ दो परसेंट है। ...(व्यवधान)... श्री राज कुमार सिंह साहब, आप इनको बता दीजिए कि न्यूक्लियर पावर का शेयर सिर्फ दो परसेंट है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Dr. John Brittas, please be seated.

DR. M. THAMBIDURAI: Some States refuse to have such nuclear plants. I would request the hon. Minister to not give a share out of the nuclear power generated by States that agree to have these plants to other States. It can be shared with States that support nuclear plants and not other States that refuse to have such plants. When they say that it may affect them in some ways, it is affecting us also.

Therefore, I request the hon. Minister to see to it that if there is any problem to the Kudankulam plant, it may be safeguarded. Thank you.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आज यहां जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा का ध्यान मैं उस समय की ओर लेकर जा रहा हूं, अभी कांग्रेस के लोग यहां ज्यादा मौजूद नहीं हैं, कम लोग मौजूद हैं, जब भारत के प्रधान मंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे, तब सबसे पहले 124 देशों का 'सेव अर्थ' एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में जब तीन दिनों के बाद माननीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी के बोलने का समय आया, तो उन्होंने ऋग्वेद का पृथ्वी सूक्त पढ़कर उनको उसका अर्थ बताया। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया कि वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए जो ऋग्वेद में है, वैसा कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए

उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बचाएँ। उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं:

"ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥"

भारत के चिन्तन में हर प्रकार से अंतिरक्ष में, पृथ्वी में, वनस्पित में, औषि में, सबमें शान्ति रहे, इस प्रकार की बात करनी थी। उस बात को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आगे लेकर गये और उन्होंने 'पंचामृत' की घोषणा की। हमारे यहाँ जो पंचामृत है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है: "अकालमृत्युहरणं सर्वव्यािध विनाशनम्।" माननीय प्रधान मंत्री जी जब कोई बात कहते हैं, तो वे उसके पूरे प्रमाणसिहत कहते हैं। अकालमृत्यु का हरण और सर्व व्याधियों का विनाश, इसके लिए भारत ने 'पंचामृत' की घोषणा की। वह पंचामृत है- भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 गीगावॉट तक पहुँच जायेगी, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 परसेंट नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा, भारत अब से 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी करेगा और इस प्रकार से 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 परसेंट तक कम कर देगा। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने इस प्रकार की बात की। यह जो बिल अब आया है, 2001, 2010 और अब यह 2022 का बिल, यह बिल उसी पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए और इन सबके लिए पंचामृत है। यह भी एक अमृतस्वरूप बिल है, इसलिए इस बिल को अमृतदायी बिल कहना चाहिए और इसीलिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इसका बहुत-बहुत स्वागत किया है।

इसमें मुख्य बात यह है कि एक तो बात कहना और एक करना, तो भारत सरकार इस बिल को लाने के साथ-साथ इस प्रकार के काम भी कर चुकी है और कर रही है। हमारे माननीय सुशील मोदी जी ने जब इसको प्रारम्भ किया था, उस समय उन्होंने कुछ बातें बतायी थीं। आप देखिए कि नवम्बर, 2021 तक 36.78 करोड़ एलईडी बल्ब्स दिये गये। इससे सालाना 48 बिलियन युनिट बिजली की बचत हुई। यह बहुत बड़ा काम हुआ। इसी प्रकार 2021 तक पूरे भारत में 8.22 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स को बदल दिया गया। इससे सालाना 8.2 मिलियन युनिट विद्युत की बचत हुई है। इसी प्रकार कृषि, जिसमें हमारी 70 प्रतिशत ऊर्जा खर्च होती है, उसके लिए उन्होंने 5 स्टार ऊर्जा दक्ष कृषि पम्प लगाने का काम शुरू किया और 79 हजार पम्प्स स्थापित कर दिये हैं। इससे प्रति वर्ष 204 मिलियन किलोवॉट ऑवर्स ऊर्जा की बचत होगी। इस प्रकार से न केवल ये यह बिल लेकर आये हैं, बल्कि बिल के साथ-साथ भारत सरकार ने ये सारे काम भी प्रारम्भ कर दिये हैं। ये जो सारे काम हैं, ये काम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जब बार-बार वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है और भारत में भी गंगा, जिसको भगीरथ लेकर आये थे और गोमुख जहाँ पर है, वह जो ग्लेशियर है, वह भी धीरे-धीरे पीछे खिसक रहा है, इसलिए जिस प्रकार भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए भगीरथ-प्रयत्न किये थे, उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें भी भगीरथ-प्रयत्न करने

होंगे और वह प्रयत्न हमारी सरकार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कर रही है। अभी माननीय अग्रवाल साहब बता रहे थे, रेल मंत्री जी को बधाई दे रहे थे। मैं समझता हूँ कि रेलवे में बहुत तेजी से कायाकल्प हो रहा है और उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है तथा उत्सर्जन कम हो रहा है। इस तरह से उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है तथा अन्य सारे क्षेत्रों में भी काम हो रहा है। इसमें कार्बन क्रेडिट की बात की गई है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट करके उसके बाजार को ठीक करने का काम करना, क्रेडिट को ठीक करना - यह एक बहुत बड़ा काम है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह बिल केवल ऊर्जा संरक्षण का बिल नहीं है, बल्कि यह बिल पृथ्वी के संरक्षण का बिल है और यह बिल भारत की उन प्रतिबद्धताओं तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला बिल है, जो उन्होंने ग्लासगो के सम्मेलन में या पेरिस सम्मेलन में या ब्रिटेन में कही थीं। यह उन सब बातों को पूरा करने वाला बिल है। माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई तो देना ही चाहता हूँ, पर माननीय मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी दूसरे देश ने कार्बन उत्सर्जन के लिए इतनी बड़ी पहल नहीं की।

हमने इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में बहुत काम किया है। पहले देश भर में जितने भी ऑटो रिक्शा चलते थे, वे सब पेट्रोल से चलते थे। आज पूरे देश में बेट्री से संचालित ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, उनकी संख्या करीब एक करोड़ हो गई है। यह तब हुआ, जब उसको बेट्री संचालित करने की कोशिश की गई। इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, स्टे लिया, दो बार बात हुई। इसके बाद सरकार ने प्रयत्न करके स्टे वैकेट कराया और इस वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को प्रारंभ किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो देवता हैं, हमारे यहाँ देवता का अर्थ भगवान से नहीं है, बल्कि देवता का अर्थ है, जो देता है और जो लेता है, वह लेवता है। हम तो लेने वाले हैं और देवता देने वाले हैं। शास्त्रों में देने वाले देवता किनको कहा गया है? सूर्य देवता हैं। आप सूर्य से लीजिए, सोलर एनर्जी लीजिए। सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाइए, सोलर एनर्जी से अपना काम कीजिए। यह काम भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। इसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई, इसको लेकर कई लोगों को तकलीफ हो रही है। ड्यूटी बढ़ाई, तो चीन से आयात कम हो गया और भारत में वह बनना प्रारंभ हो गया। इसके लिए एक आदमी आए, दो आदमी आए, तीन आदमी आए। उन आदिमयों से किन्हीं को दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश को उत्पादन का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, जल को देवता कहा गया। हम अधिक से अधिक हाइडल पॉवर लेकर आए।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

उसी प्रकार से वायु को भी देवता कहा गया है। वायु से जो ऊर्जा पैदा होती है, हम उसका उपयोग करें। इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक देवता हैं, हम इन प्राकृतिक देवताओं की सहायता से ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत पैदा कर सकेंगे और जीवाश्म से आधारित ईंधन में कमी कर सकेंगे। अगर हम गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत लेकर आएँगे, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी।

उपसभापति महोदय, आप तो बड़े पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, इसलिए आप सब जानते ही हैं। मैं आपके धैर्य की भी बहुत दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की बात बार-बार रिपीट होती है और आप उसको धैर्य से सुनते हैं। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। आपने यह 'पंचामृत' बहुत बार सुन लिया। मैंने भी 'पंचामृत' की थोड़ी व्याख्या की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो बिल है, वह पृथ्वी तथा पर्यावरण को बचाने और भारत की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने वाला बिल है, इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं मंत्री जी तथा माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता रहता हूँ कि हमने 'पंचामृत' की जो व्याख्या की है, वह 'पंचामृत' अकाल मृत्यु को हरण करने वाला और सर्वव्याधि का विनाश करने वाला हो एवं पृथ्वी अकाल मृत्यु से दूर हो तथा कोरोना जैसी व्याधियाँ नहीं आएँ। इनके लिए हम ऊर्जा संरक्षण करके प्रकृति को बचाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी। माननीया श्रीमती महुआ माजी जी।

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, आज मैं केन्द्र सरकार की सराहना करती हूँ कि वह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 ला रही है। यह अच्छी बात है कि अगर कोई इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, तो उस पर फाइन लगाया जाना उचित ही है। यहाँ अमीर-गरीब, सब पर दस लाख या जो भी फाइन लगाये जा रहे हैं, उनसे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। मेरा सवाल यह है कि आम जनता पर तो यह फाइन लगाया जा रहा है, लेकिन अगर सरकार और केन्द्र सरकार इस तरह की कोई गलती करे, अपनी गलतियों से कार्बन उत्सर्जन करे या पर्यावरण को प्रदूषित करे, तो आम जनता किससे फाइन लेगी? मेरा संदर्भ यूरेनियम माइन से है, जो कि जादूगोड़ा, झारखंड में है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जादूगोड़ा यूरेनियम खनन का लंबे समय तक एकमात्र स्त्रोत रहा है। अभी हमारे माननीय सांसद बता रहे थे कि साउथ के कोडैकनाल में विरोध हुआ था। यह विरोध बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब जादूगोड़ा में पहली बार यूरेनियम की माइनिंग आरंभ हुई थी, उस समय सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई थी। चूँकि यह डायरेक्ट पीएमओ के अंडर है, यह राज्य सरकार के अंडर नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई थी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी होने के बाद आने वाली कई पीढियों तक जिस तरह की विकलांगता देखने को मिली, उस तरह की विकलांगता जादुगोड़ा के आदिवासियों में भी देखी गई और अभी भी उसका प्रभाव है। हम सभी जानते हैं कि जब यूरेनियम को धरती से निकाला जाता है, उसका खनन होता है, तब उसे निकालकर जहाँ रखा जाता है, उसके बाद से उसका प्रदूषण फैलता रहता है और यह लाखों साल तक होता रहता है। वह प्रदूषण गनशॉट की तरह फैलता रहता है। आप आज भी जाएंगे, तो पाएंगे कि उस इलाके में जादूगोड़ा जैसी जो भी माइन्स हैं, वहाँ जहाँ-कहीं भी जमीन के अंदर से निकालकर पत्थर रखे गए हैं, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट ले जाने से पहले उनका सालों तक पहाड की तरह ढेर लगा रहता है और जब वहाँ बारिश होती है, उस बारिश के साथ यूरेनियम के कण पानी में घुलकर वहाँ की लोकल गारो नदी में चले जाते हैं, वह नदी स्वर्णरेखा नदी में जाकर मिलती है, स्वर्णरेखा नदी बंगाल, बिहार और झारखंड से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाती है और वहाँ जाते-जाते वह लाखों-करोडों लोगों को संक्रमित करती है,

पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। जादूगोड़ा के इलाके में इंसान ही नहीं, बल्कि वहाँ की वनस्पति, मछलियाँ, पशु-पक्षी, सभी रेडिएशन से प्रभावित होते रहे हैं। अगर आप देखना चाहें, तो इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म है - बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा। आपने देखा होगा कि वहाँ पर सुरक्षा मानकों की किस तरह से अनदेखी की जा रही है और यूरेनियम इतना खतरनाक खनिज है कि जो भी उसके संपर्क में आता है, वह कहीं न कहीं उससे प्रभावित होता है। मैंने इस पर एक उपन्यास भी लिखा है - 'मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ', जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें यह सारी रिसर्च भी की गई है। महोदय, जादूगोड़ा, जो जमशेदपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ एक समय यह देखा गया कि जमशेदपुर में छ: महीने के अंदर 600 से ज्यादा बच्चे संक्रमित पाए गए, इसलिए में कहना चाहूँगी कि जहाँ-जहाँ इस तरह के खतरनाक खनिज निकाले जाते हैं, केन्द्र सरकार वहाँ भी ध्यान दे। ...(समय की घंटी)... अगर वहाँ के अधिकारी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करें, तो उन पर भी फाइन लगाया जाए, ताकि कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ अन्य चीज़ों को भी देखा जा सके। सर, चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए साउथ में भी प्लांट्स लगाने की बात हुई थी। आप सभी जानते हैं कि जब जापान में सूनामी आया था, तब वहाँ के न्युक्लियर एनर्जी प्लांट में उस प्लांट की 15 फीट ऊँची दीवार फांदकर पानी घुस गया था और उस पानी के कारण वहाँ का कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था। ...(समय की घंटी)... उस समय रेडिएशन प्रशांत महासागर को पार करके कैलिफोर्निया तक चला गया था। उस समय अमेरिका ने उसे ठंडा करने के लिए अपना सबसे बड़ा जेनरेटर वहाँ भेजा था, वरना अब तक पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। प्रो. मनोज कुमार झा जी, आप तो बोल चुके हैं। क्या कुछ छूट गया था, जिसे आप कहना चाहते हैं?

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, एक दूसरा संदर्भ था, लेकिन मैं उसे विद्ड्रॉ करता हूँ।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

विद्युत मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री राज कुमार सिंह): माननीय उपसभापित महोदय, कुल मिलाकर करीब 26 माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया और अमूमन ज्यादातर माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए इसको एप्रिशिएट किया कि यह एक फॉरवर्ड लुकिंग बिल है। बाई एंड लार्ज, सभी का यह कहना था कि यह एक फ्यूचरिस्टिक कदम है। इस तरह, सभी ने इसको एप्रिशिएट किया, क्योंकि यह एप्रिशिएट करने वाली बात भी है।

यहाँ कुछ प्रश्न उठाए गए, जिनको मैं क्लैरिफाई करूँगा। जो प्रश्न उठाए गए, वे डिफरेंट प्रोसीजर्स और डेफिनिशन के बारे में डाउट्स थे कि कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, उसका क्या स्वरूप होगा, इत्यादि। यहाँ रिन्युएबल एनर्जी की भी चर्चा हुई। शुरू-शुरू में, अभिषेक जी ने कहा कि रिन्युएबल एनर्जी इत्यादि पर सब्सिडी कम हो रही है और फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी बढ़ रही है। महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वह ऐसा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमें और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। एनर्जी के मामले

मं, विशेष तौर पर रिन्युएबल एनर्जी के मामले में और विश्व स्तर पर एनर्जी ट्रांज़िशन के मामले में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उस पर गर्व कर सकते हैं। जब दुनिया के अन्य देशों के ऊर्जा मंत्री हमारे यहाँ आते हैं और हम उनके यहाँ जाते हैं, तो उनसे हमारी वार्ता होती है। हमने जो किया और हम जो कर रहे हैं, उससे दुनिया के किसी भी देश का कोई ऐसा मंत्री नहीं है, जो इम्प्रेस न हुआ हो। अमूमन, जो देश पहले पर्यावरण की बात करते थे और भाषण देते थे - मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूँगा - आजकल जब हम लोग अपनी बात बताने लगते हैं और जबिक आज ज्यादातर लोग जान गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर देश डिफेंसिव रहते हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वे आजकल जब हमारे सामने आती हैं, तो वे थोड़ा डिफेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो किया है, वह उन लोगों ने नहीं किया है। हमने एनर्जी ट्रांज़िशन और क्लाइमेट एक्शन में जितनी प्रगित की है, उन्होंने उतनी प्रगित नहीं की है। यह एक तथ्य है। This is the hard fact which they recognize, which they accept. So, this is something about which we all as Indians can be proud of about what we have done. महोदय, हम लोगों ने जो किया है, वह मामूली नहीं है।

महोदय, वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री जी ने पेरिस के कॉप-21 में प्लेज किया था। वहाँ प्लेजेज़ होते हैं, जिनको नेशनली-डिटरमिंड कॉन्ट्रिब्यूशंस कहा जाता है और हर देश अपना नेशनली-डिटरमिंड कॉन्ट्रिब्यूशन देता है to abate climate change. उसमें भारत ने भी अपना नेशनली-डिटरमिंड कॉन्ट्रिब्यूशन दिया। वह वॉलन्टरी है। उसमें भारत ने कहा कि हमारी बिजली उत्पादन की जो क्षमता है, उसका 40 प्रतिशत हम नॉन-फॉसिल से वर्ष 2030 तक कर देंगे। यह एक बहुत बड़ा किमटमेंट था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत है। महोदय, हम लोगों ने उसे केवल किया ही नहीं, बल्कि हमने उसे एक्सीड कर दिया। हमने कहा था कि हम इसे वर्ष 2030 तक अचीव करेंगे, जबिक हमने उसे 9 साल पहले कर दिया। हमने कहा था कि हम इसे वर्ष 2030 तक अचीव करेंगे, जबिक हमने उसे 9 साल पहले नवम्बर, 2021 में ही अचीव कर लिया। आज हमारी नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 1,73,000 मेगावॉट है, जो कि हमारी कुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी की 42 परसेंट है।

महोदय, यहाँ नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के बारे में एक प्रश्न उठा था। मैंने इसको पहले भी क्लैरिफाई किया था और अब मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ। नॉन-फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं- एक रिन्युएबल एनर्जी है, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास आदि आते हैं और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसको हम रिन्युएबल नहीं कहते हैं, क्योंकि वह रिन्युएबल नहीं है, लेकिन वह नॉन-फॉसिल है, क्योंकि उसमें कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली पैदा करने में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एमिशंस नहीं होते हैं, इसलिए वह नॉन-फॉसिल में आता है। दुनिया का जो भी टारगेट है, वह फॉसिल और नॉन-फॉसिल के तौर पर निर्धारित होता है, क्योंकि दुनिया का लक्ष्य यह है कि हम अपना एमिशन कम करें और नॉन-फॉसिल से एमिशन कम होता है। जो पाश्चात्य देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी कंट्री की 20 परसेंट, किसी कंट्री की 30 परसेंट और किसी कंट्री की 40 परसेंट कैपेसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से आती है, जबिक हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी बहुत कम है। हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी केवल 6,800 मेगावॉट ही है। हमारी और कुछ न्यूक्लियर कैपेसिटी बन रही है। लेकिन अधिकतर देश, जो कि पाश्चात्य देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका नॉन-फॉसिल कैपेसिटी में न्यूक्लियर का ऐटलीस्ट 30-40 परसेंट कैपेसिटी में और एनर्जी टर्म्स में कॉन्ट्रिब्यूशन

है। एक बड़ी डेवलप्ड कंट्री के क्लाइमेट चेंज के प्रभारी मंत्री आए थे। उन्होंने नेट ज़ीरो का अनाउंसमेंट किया था। हमने पूछा कि कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नेट ज़ीरो की तरफ ज्यादातर जो प्रोग्रेस होगी, वह होगी by using nuclear energy through small modular reactors. हमने कुछ प्रश्न उठाए। अभी तक स्मॉल मॉड्युलर रिएक्टर्स डेवलप नहीं हुए हैं, वे अंडर डेवलपमेंट स्टेज हैं, न्यूक्लियर वेस्ट का क्या करेंगे? हमने ये सब प्रश्न उठाए। हमारा जो डेवलपमेंट है, वह ज्यादातर रिन्युएबल एनर्जी पर है। हमारी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बहुत कम है।

उपसभापति महोदय, पिछले साल हमने करीब 14 हज़ार मेगावॉट रिन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित की, जबकि हम तुरंत ही कोरोना काल से बाहर निकले थे। आज हमारी 1 लाख, 73 हज़ार मेगावॉट नॉन-फॉसिल कैपेसिटी है। अगर आप कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन देखें, तो वह 2,45,000 मेगावॉट हो जाती है। हम जिस गति से काम करते हैं, उस गति से कोई और काम नहीं करता है। हमने एनर्जी ट्रांज़िशन में जिस गति से काम किया है वह मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री और रिन्युएबल एनर्जी ने काम किया है। महोदय, एनर्जी ट्रांज़िशन के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि हम अपनी एनर्जी को रिन्युएबल कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। दूसरा यह भी पहलू है कि हम जो एनर्जी कन्ज्यूम करते हैं, उसमें हम एफिशिएंसी लाएं, यानी कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी प्रोडक्ट को कम एनर्जी इस्तेमाल करके बनाएं। उसको एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करता है। जिसको अभी कार्बन ट्रेड की स्कीम को ड्रॉ अप करने की ज़िम्मेदारी मिल रही है, वह क्यों मिल रही है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। इसने इंडस्ट्रीज़ में एफिशिएंसी की स्कीम बनायी। उस स्कीम के अंतर्गत इसने जो अचीवमेंट की, जब हम वह दुनिया में लोगों को बताते हैं तो उनकी आंख खुली रह जाती है। एक है 'परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड', जो कि इंडस्ट्री के लिए है। उन्होंने इंडस्ट्री में प्रति वर्ष 105 मिलियन टन कार्बन एमिशन की कमी कर दी है। वे डिफ्रेंट इंडस्ट्रीज़ को डेज़िग्नेट करते हैं। उसके लिए वे टारगेट सेट करते हैं कि आप पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं -- most of you understand energy intensity -- उसको आप कम करेंगे, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी आ गई है। आपकी जो एमिशन इंटेंसिटी है, उसको आप इतना कम करेंगे, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर वे वह टारगेट मीट कर लेते हैं तो उनको पेनल्टी नहीं लगती है और अगर वे नहीं मीट करते हैं तो पेनल्टी लगती है। यदि यहां पेनल्टी नहीं लगती है तो उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है। हम इस कार्बन ट्रेड को ऑलरेडी दूसरे नाम से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर किसी ने ज्यादा अचीव कर लिया। किसी को टारगेट मिला कि एनर्जी इंटेंसिटी कम करनी है, यदि उसने पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कम कर दिया तो उसको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता है। जिसको पेनल्टी लगने वाली है, वह एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है। इस मैकेनिज्म से इसमें 260 billion units per year in electricity terms एनर्जी सेविंग हुई है or metric tonne of oil equivalent के हिसाब से 24 मिलियन मीट्रिक टन की प्रति वर्ष सेविंग हुई है। It is equivalent to about total saving of Rs. 40,000 crore per annum. Reduction in CO2 emissions is 106 MT. इस बात को सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि दुनिया भी एप्रिशिएट करती है। इसको बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। हमारा एक 'स्टैंडर्ड और लेबलिंग प्रोग्राम' है। हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स करके लेबलिंग फिक्स करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि ए.सी., फ्रिज आदि की 5 स्टार लेबलिंग करते हैं। That is our programme. उसमें जो लोएस्ट रेटिंग है, वह वन है। Every two years we phase it out. What is 'five' this year will become 'four' after two years as the technology improves and the efficiency improves. And because of that reduction in CO2 emissions is 51 MT per annum. हम लोगों ने इसमें इतना रिडक्शन कर दिया है, by increasing the efficiency of the appliances which we use. This has happened in our country. We are proud of it. There are very few parallels across the world. Our country is one which has done that. We have done it. डेवलिंग कंट्रीज़ के प्रति 'द इकोनॉमिस्ट' सामान्यतः थोड़े क्रिटिकल ही रहते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा, जिसका एक लीड आर्टिकल था about how India has transitioned and how India has progressed on climate action.

5.00 P.M.

It was the lead article singling out India. हमारे मित्र ने जैसे आपको बताया, हमने नहीं, यह ग्लोबल वॉच है जिसने हाल में रिपोर्ट दी है। जब ग्लोबल वॉच ने कंट्रीज़ के क्लाइमेट एक्शन पर रैंकिंग की, तो उसमें इंडिया को पांचवीं रैंक दी। हमारे ऊपर चार कंट्रीज़ हैं-डेनमार्क, मोरक्को, चिली और स्वीडन। ये सब छोटी कंट्रीज़ हैं। लार्ज कंट्रीज़ में हम ही हैं। We are number one. 'उजाला' स्कीम की चर्चा हुई। 'उजाला' स्कीम में CO2 एमिशन का रिडक्शन हुआ है। lt saved 105 million tonnes CO2 per annum and energy savings of 129 billion units. हमने COP-21 in Paris 2015 में प्लेज किया था, that by 2030, we will reduce the emissions intensity of our economy by 33-35 per cent. We have already reduced it by 30 per cent and we are in 2022. So, again, we are a leader. That is why, in renewable energy, in climate change and in clean energy, India is a leader, undisputed leader. हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, except 3-4 small countries. For them, things are easier. We are a huge country. For us, achieving this is really something and the whole world recognizes that and we are proud of it. All of us need to be proud of what we are doing. This Bill, which we have brought forward, again is a futuristic Bill and a step in advance. In fact, of most of the world countries, हम लोग उनको बताते हैं, तो वे भी एप्रिशिएट करते हैं। In fact, all the figures which we have are huge. हम लोगों ने यह किया है, we have added capacity. Ever since this Government came to office in 2014, we have added almost 1,73,000 megawatts of capacity, transforming our country from power deficit to power surplus. We have connected the whole country into one grid by which you can transfer 1,12,000 megawatts of power from one part of the country to another. We connected 29 million homes, ensuring universal access. यह Sustainable Development Goal-7 है, जिसमें यह युनिवर्सल एक्सेस है। We did that and we did that in about 19 months, which again was a record. The International Energy Agency said that it was a record. As a country, we transformed the power sector.

This universal access and availability of power has gone up to about twenty-two-and-a-half hours in rural areas. Again, this is from independent surveys. Of course, we monitor it. It didn't happen just like that. We added capacity; we added transmission lines; we improved the distribution system by investing Rs.2,04,000 crores. We invested Rs.2,04,000 crores in the past five years -- not directly but through the distribution agencies. We gave money to distribution companies to add...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Let him speak.

SHRI RAJ KUMAR SINGH: Let me finish. Then, he can speak. We added 2,900 new substations; we upgraded 3,980 substations; we changed or extended LT lines and FC lines of about eight lakh circuit kilometres. इतना हमने किया है। हमने 7,50,000 ट्रांसफॉर्मर्स अपग्रेड किए। That's why, this change has happened. And in renewable energy, we are greening our grids. This has come about with the cooperative effort of the whole country. I don't work independently. I work through State Governments. I work through the State distribution companies, and through the State Governments and the State power sector. We work as a unit. We are proud of what we have done. This Bill takes forward that and this Bill will again ensure that we shall remain a leader in the world in so far as energy transmission and climate action are concerned. इसमें हम जो भी प्रोविज़न्स कर रहे हैं, वे प्रोविज़न्स एकदम विज़िनरी हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं और यह हम पहले से करते आ रहे हैं। हम पहले से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं, which is a species of carbon credit. रिन्युएबल पहले से कर रहे हैं। हम इसमें कार्बन क्रेडिट्स ला रहे हैं। What is a carbon credit? What is an energy saving certificate? I will just explain. इसमें दो कैटेगरीज़ होती हैं। हम सबको ऑब्लिगेट करते हैं। There are obligated entities. हम distribution companies, big consumers and captive power plants को ऑब्लिगेट करते हैं। अब इस साल आपका जो एनर्जी कंज़म्पशन है, उसका इतना परसेंट रिन्युएबल होना चाहिए, उसको ऑब्लिगेट करते हैं। उसको वे लोग अचीव करते हैं, नहीं तो फिर पेनल्टी का प्रोविज़न है। अगर ओवर अचीव करते हैं, तो उनको आरईसी मिलता है और अभी कार्बन क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह से हम ऑब्लिगेट करेंगे। यह आपका जो कार्बन कंज़म्प्शन और कार्बन एमिशन है, उसको आप इतना कम करेंगे और उससे ज्यादा कम करेंगे, तो उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, तो यह कार्बन क्रेडिट पॉज़िटिव में आया। जो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, उनको या तो कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा या उनको फाइन देना होगा, क्योंकि उन्होंने कार्बन का एमिशन कम नहीं किया। एक तो यह है कि जिसका सरप्लस है और एक वह है, जिसको खरीदना है, नहीं तो पेनल्टी देनी है। इसका एक रेग्युलेटरी मेकेनिज़्म है। इसका रेग्युलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (सीईआरसी) है। यह एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, जो कि इसका रेग्युलेटर है। इसका एक एक्सचेंज है। कार्बन प्राइस फिक्स कैसे होगा, इसकी चर्चा हुई थी। कार्बन प्राइस कोई

आर्टिफिशियली मेन्डेटेड प्राइस नहीं है, वह मार्किट डिटर्मिन्ड प्राइस है। यह कैसे डिटर्मिन होगा? हमारे जो पावर एक्सचेंजेज़ हैं, जिसमें बिजली का सेल-परचेज़ वगैरह होता है, उसमें कार्बन क्रेडिट का भी सेल-परचेज़ होगा। इसकी एक ओवरऑल गवर्निंग बॉडी है। यह ओवरऑल गवर्निंग बॉडी हैडेड है by the Ministry of Environment and Forests, उसमें ज्यादातर जितनी भी कार्बन कन्ज़्यूमिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं, वे सभी उसकी गवर्निंग बॉडी की मेम्बर हैं। यह उसका स्ट्रक्चर है और जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील, फर्टिलाइज़र आदि हैं, यह सभी पर लागू होता है। सभी को अपने एमिशन्स कम करने हैं। इसमें हम लोग सक्सेसफूल हुए हैं और आगे और भी सक्सेसफूल होंगे। कार्बन क्रेडिट का इसमें प्रोविज़न है। कार्बन मार्किट का कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल में आया। उस समय हम लोग इन्क्लूडेड नहीं थे, क्योंकि हम लोग ऑब्लिगेटेड कंट्रीज़ नहीं थे, हम लोगों का कोई कमिटमेंट नहीं था। यह फिर पेरिस में आया और पेरिस में हम लोग ऑब्लिगेटेड हैं, क्योंकि हम लोगों ने एनडीसी किया है, तो हम लोगों को यह कार्बन क्रेडिट मेकेनिज़्म लाना है और इसीलिए हम इसको ला रहे हैं। एक प्रश्न उठा था और हमने कहा था कि हम कार्बन क्रेडिट को बाहर विदेश में नहीं बेचना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? हालांकि इससे विदेश में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको चिंता हुई, क्योंकि हम इतनी बडी इकोनॉमी हैं, हमारा इतना बडा पावर सेक्टर है, जो कि और कहीं नहीं है, तो अगर यहां से कार्बन क्रेडिट नहीं खरीद पाएंगे, तो अपना जो उनको मेन्डेटेड रिडक्शन करना है, अगर वह नहीं कर पाए, फिर उसकी भरपाई कैसे करेंगे? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो भी कार्बन क्रेडिट बाहर बेचेंगे और बाहर बिकेगा, उसका हम अपने एनडीसी के लिए लाभ नहीं ले सकते हैं, वह डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो पहले तो जो हमने एनडीसी किया है, हमने कहा है कि हम यह अचीव करेंगे, पहले हम उसको अचीव करने में अपना कार्बन क्रेडिट लगाएंगे। उसके बाद अगर सरप्लस होगा, तब ही बाहर बेचने देंगे। अन्यथा अगर कोई लीडिंग या कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, उसको अगर फाइनेंस करना है, तो उसके लिए कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग बाहर करेंगे। यह इस बिल में एक प्रोविज़न है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली कोई बात ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो करते हैं, वे शायद गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाए हैं। यह जो रिन्युएबल एनर्जी लाए हैं और हम लोगों ने जो यह एनर्जी ट्रांज़िशन किया है, यह किसने किया है? यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्युएबल एनर्जी ने किया है, हम ही लोगों ने किया है। हम क्लाइमेट चेंज में अग्रणी हैं, तो क्यों अग्रणी हैं - क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्युएबल एनर्जी ही अग्रणी है। क्लाइमेट एक्शन में सबसे ज्यादा काम तो हम ही लोगों ने किया है। क्यों किया - क्योंकि सरकारें ऐसे ही काम करती हैं और सरकार ने एक ध्येय बना लिया है कि हम अपने एन्वायर्नमेंट की केयर करते हैं और उसके लिए ये कार्य करेंगे। हालांकि हमको करने की आवश्यकता नहीं है। करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एवरेज इंडियन का पर कैपिटा एमिशन या इंडिया का जो एवरेज पर कैपिटा एमिशन है, वह one-third of the world average है। आज जो ग्लोबल कार्बन लोड है, उसमें हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन सिर्फ 3.4 परसेंट है, जबकि हमारी पॉपुलेशन 17.4 परसेंट है। अभी तक जो लगभग 0.89 degree ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। हमको उससे मतलब नहीं है। हमारी सरकार को मतलब यह है कि यह एन्वायर्नमेंट प्रीशियस है। एन्वायर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको जो भी करना होगा, हम वह करेंगे। इसीलिए हम यह कर रहे हैं और जब हम यह करने लगे, तो हम इसमें भी लीडर हो गए। We work that way.

हम ऐज़ ए कंट्री जो एक बार ठान लेते हैं, we do it. यह आप देख लीजिए कि एक बार जब हम कुछ ठान लेते हैं then, we do it. हम लोगों ने ठान लिया था कि we will become surplus as far as food is concerned, we became surplus. हम लोगों ने ठान लिया कि एनर्जी ट्रांज़िशन करेंगे, तो we are a winner in energy transition.

दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, वह है हमारी एनर्जी का, जो 24 परसेंट कंज़म्पशन है, वह हाउसिंग सेक्टर में है। हमने अभी हाउसिंग सेक्टर में उसे टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया है। इसमें छोटी कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं हैं. ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवॉट से ऊपर है। यह 100 किलोवॉट कितना होगा - करीब 20-25 हजार स्क्वेयर फीट में ही 100 किलोवॉट का लोड होगा, यह बहुत बडी बिल्डिंग होती है, उसी के लिए हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है। अब ऐसे-ऐसे मल्टी-स्टोरी लग्ज़री फ्लैट्स आ गये हैं, जिनका कि कनेक्टेड लोड, ब्लॉक ऑफ फ्लैटस का कनेक्टेड लोड 100 किलोवॉट छोड़िए, 200, 300, 500 किलोवॉट तक होता है, दो-तीन मेगावॉट होता है, ये सब एयर-कंडिशन्ड हैं। उन सबको हम इसमें मेंडेट कर रहे हैं। हम 100 किलोवॉट से ऊपर की बिल्डिंग को ही कर रहे हैं, ताकि गरीबों पर इसका इम्पेक्ट न हो। इसके बारे में किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, सुझाव दिया था। उनका सही सुझाव था कि अगर आगे चलकर 100 किलोवॉट को 50 किलोवॉट करना चाहते हैं, तो आपके पास इसकी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। हमारे पास फ्लैक्सिबिलिटी है, उसे हम लोगों ने स्टेटस को दिया है। हम लोगों ने कहा है कि स्टेट अपना निर्णय कर सकती है कि वह 100 किलोवॉट ही रखे या उससे कम कर दे। हो सकता है कि पांच साल बाद निर्णय हो, 10 साल बाद स्टेट का निर्णय हो कि हम श्रेशहोल्ड को 100 किलोवॉट से कम करके 50 किलोवॉट कर देंगे या 25 किलोवॉट कर देंगे, इस काम को स्टेटस कर सकती हैं। हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्टेटस को दिया है। हमने स्टेटस को फ्रीडम दी है कि इसको आप अडॉप्ट करें। इसका इम्प्लीमेंटेशन through the building bye-laws होगा, जैसा कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए हमने एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड्स किया। वे एनर्जी कंजरवेशन बिल्डिंग कोड़स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, by getting it absorbed in the building bye-laws. हम स्टेट्स को भेजते हैं कि आप इसको बाई-लॉज का पार्ट बनाइये। उन्होंने बाई-लॉज़ का पार्ट बना लिया, 22 स्टेट्स ने उसे बाई-लॉज़ का पार्ट बना लिया। उसके बाद फिर वे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वे उसको फूलफिल नहीं करते हैं तो बिल्डिंग बाई-लॉज़ के वॉयलेशन की जो पेनल्टी होगी, वह स्टेट गवर्नमेंट की होगी।

इसी तरह से जो रेज़िडंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए ऑलरेडी हम ईको- निवास संहिता निकाल चुके हैं। यह ईको-निवास संहिता ही है, उसका कोड हमने नहीं किया है। एक बार यह हो जायेगा, तो हम उसका कोड कर देंगे और वही बिल्डिंग बाई-लॉज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि स्टेट्स अपने बिल्डिंग्स बाई-लॉज़ में अडॉप्ट करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे।

एक प्रश्न उठा था कि ग्रीन बिल्डिंग है क्या? यह नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। यह किसने कह दिया कि इंडिया नये कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकता है, तो हम तो नये कॉन्सेप्ट के लीडर हैं। आप एनर्जी में देख लीजिए, इसी तरह से हम ग्रीन बिल्डिंग्स में भी लीडर हैं और हम लीडर बनेंगे। हमारे यहां ग्रीन बिल्डिंग्स ऑलरेडी हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यु एंड रिन्युएबल एनर्जी है, वह नेट ज़ीरो ही नहीं, वह नेट पॉज़िटिव बिल्डिंग है। हमारे यहां आलरेडी पांच-छः ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जो कि नेट ज़ीरों है। यह हमारी जानकारी में है, हम इसकी लिस्ट सर्कुलेट कर देंगे। ग्रीन बिल्डिंग बनाने में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है - थ्री टू फाइव परसेंट। उसका पेबैक टाइम क्या है - यह चार से पांच साल है। अब आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो चार-पांच साल पेबैक पीरियड होगा सेंट-परसेंट, तो आप नहीं करेंगे! सस्मित जी, दौड़ कर करेंगे, झा जी, भी करेंगे और पांच चाल के बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट तीन से पांच परसेंट - यह एक्स्ट्रीम है, तीन से पांच परसेंट है, अगर यह हो गया, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यह भी बेनिफिशियल है और इसमें भी, we are already leading and we shall continue to lead. हम ग्रीन बिल्डिंग को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, सस्टेनेबल बना रहे हैं। इसमें पहले तो सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी थी, अब एनर्जी एफिशिएंसी करके आप नेट ज़ीरो के आस-पास पहुंच सकते हैं। हम इसमें रिन्युएबल एनर्जी के लिए भी काम कर रहे हैं। यह दूसरा इसमें मेजर प्रोविज़न है।

इसमें जो तीसरा प्रोविजन है, इस प्रोविजन में again, we are going to be a leader, वह है green hydrogen and green ammonia. We are going to be leaders in this. हमने इसके लिए एक पॉलिसी निकाली, जिसमें कि कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो उसके लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर के तौर पर क्या-क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने रूल्स निकाल दिये हैं। उसके बाद हमने मीटिंग की और जितनी इंडस्ट्रीज़ थीं, उनके लोग आये। हमने उनसे पूछा कि आप कितनी कैपेसिटी लगाने जा रहे हैं, तो यह 25 मिलियन टन of green hydrogen plus green ammonia का मैन्यूफेक्चरिंग है। Can you imagine it? So, we shall emerge as leaders. अब उसमें क्या है, हमको 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर जाना है, हालांकि हम उससे पहले कर लेंगे। हम 50 परसेंट भी 2030 के पहले कर देंगे। हम लोगों ने जो 50 परसेंट का टारगेट रखा है, ऑलरेडी अगर आप installed capacity under installation, bid out कर दिया, तो २४०-२४५ वैसे ही हो जायेगा। हमारा ५०० भी पहले ही हो जाएगा। एक सीक्रेट यह है कि 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 25 गीगावॉट रिन्युएबल एनर्जी चाहिए, 25 हज़ार मेगावॉट रिन्युएबल एनर्जी। वैसे एक कंज़रवेटिव टारगेट रखा है कि हम 2030 तक 5 मिलियन टन की ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफेक्चरिंग कैपेसिटी रखें। 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ उसी के लिए हमें 1,25,000 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहिए। महोदय, 500 गीगावॉट आराम से अचीव हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

महोदय, हम जो नेट ज़ीरों की ओर जाना चाहते हैं या दुनिया इस ओर जाना चाहती है...

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय मंत्री जी, सदन को ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता दीजिए।

श्री राज कुमार सिंहः ग्रीन हाइड्रोजन?

श्री सुशील कुमार मोदी : जी।

श्री राज कुमार सिंहः उपसभापति जी, मैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता देता हूं।

महोदय, यह जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, यूरोपियन यूनियन से कुछ डिस्प्यूट भी हुआ था, लेकिन जो हमारे डिफरेंसेज़ थे, वे अल्टीमेटली उनको एक्सेप्ट कर गए। अभी कुछ सेक्टर्स में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं। हम स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल यूज़ करते हैं। महोदय, हम कोकिंग कोल ज्यादातर इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोकिंग कोल का जो भंडार था, वह लगभग समाप्त हो गया। इसे हम हाइड्रोजन से बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बनाने का जो अभी तरीका है, वह by using natural gas है। अगर आप नैचरल गैस इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाएंगे, तो जो CO2 रेमनेंट होता है, आप उसको एटमॉस्फियर में रिलीज करते हैं, या फिर आप सीसीयूएस के अंतर्गत कैप्चर करके उसको जमीन के अंदर लें। कुछ वैस्टर्न कंट्रीज़ यह भी कर रही हैं। वे यह भी सोच रहे हैं कि सीसीयूएस भी करेंगे। सीसीयुएस में हमारा एक पायलट चल रहा है। दुनिया में भी पायलट ही चल रहा है, यानी carbon capture and sequestration - इसको सीसीयुएस कहते हैं। अगर आप हाइड्रोजन बनाएंगे, by using natural gas, तो आप CO2 छोड़ेंगे। आप रिन्युएबल एनर्जी यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, जो कि प्योर क्लीन है, उसमें there is no carbon. फिर उसके बाद पानी इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो वह ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके - जैसे आप स्टील बनाते हैं, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं by direct reduction method ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करके, your carbon elements will come down. अब धीरे-धीरे क्या होगा? सर, उसको दुनिया कर रही है, हमें भी यह करना है - क्योंकि अब दुनिया सोच रही है, डेवलप्ड वर्ल्ड सोच रहा है कि हम आगे स्टील लेंगे या तो हम वह फूल ग्रीन कर दें, लेकिन वह फूल ग्रीन स्टील बहुत महंगा हो जाएगा। यदि यह कहें कि जो स्टील होगा, उसमें कार्बन कम्पोनेंट इतने परसेंट से ज्यादा नहीं होगा, यदि हम उधर नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसकी मार्किट बंद हो जाएगी। इसीलिए हमें उधर जाना है और जल्दी जाना है। सर, इसी तरह से हम जो रिफाइनिंग करते हैं, उसके लिए भी हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। वे भी हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, नैचुरल गैस से बनाते हैं, CO2 एमिट करते हैं। यदि हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, तो वह मेड इन इंडिया हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन मेड इन इंडिया है। रिन्युएबल एनर्जी यहाँ, पानी हमने यहीं बनाया है और नैचुरल गैस हम इम्पोर्ट करते हैं, you know that we import most of our natural gas. यह हो गया। वहाँ पर हमने कार्बन एबेटमेंट किया। सीमेंट में ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...

श्री राज कुमार सिंहः अच्छा मैं दे देता हूं, मैं बता देता हूं। फर्टिलाइजर, अमोनिया यूज़ करते हैं।(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः सर, आप उधर देख रहे हैं।

श्री राज कुमार सिंहः अच्छा, मैं आपकी तरफ देख लेता हूं।(व्यवधान)... हम फर्टिलाइजर में नैचुरल गैस से बना ग्रे अमोनिया यूज़ करते हैं। हम इन सभी को ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया से

रिप्लेस करेंगे। हम लेस कार्बन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। That is our progress. हम इसमें उसका प्रोविज़न कर रहे हैं। हम उसको मेंडेट करेंगे। आप यह देखेंगे कि जो मेंडेटिंग का प्रोविज़न है, हम उसके तहत मेंडेट करेंगे। हमारे मित्र, जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम हैं - आप हाइड्रोजन बनाने के लिए इतनी नैचुरल गैस यूज़ करते हैं, लेकिन अगले साल जो भी हाइड्रोजन की जरूरत है, आपको उसका 5 परसेंट ग्रीन हाइड्रोजन करना होगा। सर, हम इस तरह से टारगेट ले रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे मित्र, जो मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैं, हम उनको कंज़म्पशन का टारगेट देंगे। सर, टारगेट हम नहीं देंगे, बल्क इसके लिए एक बॉडी है। केबिनेट सेक्रेटरी के अंडर एक बॉडी रहेगी, वे मिल-बैठकर तय करेंगे कि क्या कितना होगा। यह हमारे एनर्जी ट्रांसिजन का एक अहम पहलू है। This is a major step. It is forward looking, it is futuristic. We are keeping up with the world. In fact, we are leading the world. ये हमारे मेजर प्रोविज़न्स हैं। इनमें हाउसिंग, कार्बन मार्किट और mandating of non-fossil sources. By and large, सभी लोगों ने, जो भी बोले हैं, उन सभी ने इसको समझा और एप्रिशिएट किया है।

I thank all the Members who have participated. Most of the Members have sort of appreciated what we are trying to do. I think this is something which is essential for the planet. We do not have any alternate. There is no alternate, कोई second boat नहीं है। This is the only planet which we have and we have to do our best to save it. We are doing our best. But, if you ask me, whether the other developed countries are doing their best, I will say, 'I have questions, I have doubts'. We hear a lot of talk. But, I don't see any concrete action. We are taking concrete actions. We shall continue to take. And, this, Mr. Deputy Chairman is one more step forward towards the concrete action which our country is taking. Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I would recommend to the House to pass this Bill unanimously.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two Amendments (Nos.1 and 2) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 2 - AMENDMENT OF SECTION 2

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, it is a very small Amendment. Just include that the State Government also is involved in a larger way, if the Minister can appreciate that! I am moving the Amendments. Sir, I move:

- (No.1) That at page 2, line 14, <u>after</u> the word "lower", the words "or different limits of" be *inserted*.
- (No. 2) That at page 2, line 18, <u>after</u> the word "Government", the words "or State Government" be *inserted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are two Amendments (Nos.11 and 12) by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 3- AMENDMENT OF SECTION 4

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

- (No. 11) That at page 3, line 34, <u>for</u> the words "of the five States from the five power regions", the words "all the States of India" be <u>substituted</u>.
- (No.12) That at page 3, line 42, <u>after</u> the word "institutes" the words ", farmers" be *inserted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are three Amendments (Nos.3 to 5) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 6-AMENDMENT OF SECTION 14

DR. JOHN BRITTAS: Yes, Sir. This is to make the Bill inclusive. Sir, I move:

(No. 3) That at page 5, <u>after</u> line 5, the following be <u>inserted</u> namely:"Provided further that the State Government may exempt such classes of equipments, appliances, vessels or vehicles for such further period of time as may be notified for reasons to be recorded in writing;".

- (No.4) That at page 5, line 16, *after* the word "scheme", the words "in different zones in consultation with the respective State Governments" be *inserted*.
- (No.5) That at page 5, line 20, <u>after</u> the word "consumers", the words "in different zones in consultation with the respective State Governments" be *inserted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 6 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there are two Amendments (Nos.6 and 7) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 7- AMENDMENT OF SECTION 14A

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I move:

- (No.6) That at page 5, line 24, <u>after</u> the word "or", the words "State Governments or" be *inserted*.
- (No.7) That at page 5, line 28, the words "or carbon credit certificate" be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 8, there is one Amendment (No.8) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 8- INSERTION OF NEW SECTION 14AA

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I move:

(No. 8) That at page 5, line 31, *after* the word "Government", the words "or State Government" be *inserted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one Amendment (No.9) by Dr. John Brittas. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 10 - INSERTION OF NEW SECTION 15A

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I move:

(No.9) That at page 6, clause 10 be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 16 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 17, there is one Amendment (No. 10) by Dr. John Brittas. Are you moving it?

CLAUSE 17 - AMENDMENT OF SECTION 57

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I move:

(No. 10) That at page 8, lines 11 and 12, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAJ KUMAR SINGH: Sir, I move: That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Special Mentions. Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats, please.

(MR. CHAIRMAN in the Chair.)